pan>

Title: Introduction of the Compulsory Voting Bill, 2015

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Janardan Singh 'Sigriwal' on the 13th March, 2015, namely:--

> "That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Dr. Manoj Rajoria may please continue his speech.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अनिवार्य मतदान के विÂाय पर बोलने का मौका दिया है।

15.53 hrs (Shri Hukumdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

महोदय, जैसा कि मैंने पिछली बार की चर्चा में बताया था कि देश में जब जिम्मेदारी की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो बहुत-से ऐसे प्रबुद्ध नागरिक होते हैं, जो इससे उदासीन हो जाते हैं, इससे किनारा कर लेते हैं।

इस बिल में कुछ पेनल्टीज़ के प्रावधान किये गये थे, जिस पर मैंने पिछली बार की चर्चा में कहा था कि पेनल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके बजाए प्रोत्साहन होना चाहिए कि किस तरीके से कंपल्सरी वोटिंग को बढ़ाया जाए। जैसा मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि एक मतदाता को पाँच साल में कम से कम पाँच से दस बार वोटिंग के लिए जाना पड़ता है। शायद यह एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से उसका चुनाव से मोह भंग हो जाता है और वह बार-बार मतदान करने से ऊब जाता है।

मेरा एक विनम्र सुझाव है कि ये जो सारे निकाय चुनाव हैं, छोटे-छोटे पंचायत के चुनाव हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव हैं, विधायक और सांसदों के चुनाव हैं, इनको यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा चुनाव आयोग से समन्वय करके पाँच साल में एक साथ, एक बार कराने की कोई व्यवस्था करती है, तो मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसी व्यवस्था होगी, जिससे हमारे देश का धन भी बचेगा, संसाधन बचेंगे और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा।

आज तकनीक का जमाना आ गया है। आज लोग उच्च तकनीकों-डिजीटल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समय में हमको आधार कार्ड के माध्यम से मतदाता सूची को भी जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार देश ने पूरे देश में अधिकतर जनसंख्या को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। केन्द्र की सभी योजनाएँ आधार कार्ड से लिंक हो गयी हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार मतदाता सूची को भी आधार कार्ड से जोड़ने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। आधार कार्ड का जो यूनीक आई.डी. नम्बर होता है, इसे मतदाता पत्र के साथ जोड़कर यदि कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें, जिससे मतदाता अपने मतदान केन्द्र के अलावा देश में ऐसे केन्द्रों के रूप में कई मोबाइल सेन्टर्स भी बनाये जा सकते हैं, जिस प्रकार एटीएम कार्ड को स्वैप करके यूनीक बैंक एकाउंट नम्बर के माध्यम से ऑपरेट होता है, चाहे देश के किसी भी बैंक का एटीएम होता हो। इसी प्रकार, आधार कार्ड के माध्यम से एक ऐसा वोटर कार्ड बना दिया जाए या आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए ताकि जो गरीब व्यक्ति है, जो नौकरी के लिए किसी अन्य शहर में गया हुआ है या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोई व्यापारी है, जो अपने गांव-शहर से दूर गया हुआ है और उसकी इच्छा है कि मैं देश के लोकतंत्र में अपना योगदान दूँ, लेकिन उसकी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण वह चाहते हुए भी मतदान नहीं कर पाता है। किसी के परिजन अस्पताल में भर्ती हैं या किसी और मजबूरीवश अपने शहर से, अपने मतदान केन्द्र से दूर हैं, तो वह मतदान नहीं कर पाता है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस विÂाय में एक कमेटी की स्थापना की जाए, जो इन चीजों का अध्ययन करे कि किस तरीके से मतदान को अधिकतम किया जाए। इसके लिए मेरा निजी सुझाव है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतदाता को अपने मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता न पड़े। जो मतदाता मतदान केन्द्र पर उपस्थित हैं, वे वहाँ मतदान कर लें और जो उससे दूर हैं, वे अपने किसी भी नजदीकी बूथ पर, जहाँ डिजीटली स्वैप करने से उसका मतदाता क्रमांक नम्बर वहाँ आ जाए और संबंधित विधान सभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में उसका मतदान हो जाए। बिहार के गांव का कोई व्यक्ति या राजस्थान के किसी गांव का व्यक्ति, जो दिल्ली में हो, वह अपने यहाँ मतदान कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम होंगे, जो इस देश के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे।

हमारे स्कूलों में 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो दसवीं क्लास से बारहवीं क्लास तक के बच्चे हैं, वे हमारे देश की पीढ़ी हैं, हमारे देश के भविÂय हैं। हमारे देश का भविÂय इन्हीं 15 से 18 साल के बच्चों पर निर्भर करता है। इनके मन में लोकतंत्र के प्रति एक अच्छी इमेज बनायी जाए। इनके मन में एक ऐसी भावना बनायी जाए ताकि इनके मन में यह बात आ सके, वे सोच सकें कि लोकतंत्र में हमारा मतदान करना बेकार नहीं जाता है। मतदान करना देश के निर्माण के लिए, राÂट्र के निर्माण के लिए हमारा फर्ज-कर्त्तव्य है। यह कोई लालच और किसी अन्य चीजों से प्रभावित नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान के दौरान कुछ राजनीतिक व्यक्तियों या पार्टियों के द्वारा तरह-तरह की बातें, जैसे जाति-धर्म और प्रलोभन का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग सबूत मिलने पर उस पर कार्रवाई भी करता है। लेकिन, कार्रवाई करने में इतना समय लग जाता है कि जो व्यक्ति अनुचित काम करता है, वह बेखौफ होकर उसे करता रहता है क्योंकि उचित समय पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि बनकर अपने पूरे पाँच साल निकाल देता है। उसे कानून का कोई डर नहीं रहता है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को गलत जानकारी देता है, मतदाताओं को धमकाता है या धर्म के आधार पर वोट मांगता है, प्रलोभन देता है, तो चुनाव आयोग उस पर तय समयसीमा के अंदर उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसका नामांकन रद्द कर सके ताकि लोकतंत्र में उसकी आस्था बढ़े।

यह दुर्भाग्य का विÂाय है कि आज हम लोग लोकतंत्र के जिस सबसे बड़े मंदिर में बैठे हैं, वहाँ हमारे कुछ साथियों ने सही काम नहीं किया। मैं पहली बार सांसद बना हूँ तथा पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं मरीजों की सेवा करता था, तो बड़ा आनन्द अनुभव करता था। जब मैं गरीबों और अमीरों के बीच सेवा-भाव से काम करता था, तो मैं यह सोचता था कि यह मेरा सीमित क्षेत्र है, जब संसद में पहुंचूंगा, तो देश के बड़े-बड़े कामों में अपना योगदान करूँगा। लेकिन, जब मैं संसद में आया, तो मैंने देखा कि कुछ पार्टी के मेरे सांसद मित्रगण किस तरीके से वेल में आकर, प्ले कार्ड्स दिखाकर संसद की मर्यादा को तार-तार करते हैं।

16.00hrs

हमारी स्पीकर मैडम के सामने जिस तरह से प्लेकार्ड्स दिखाते हैं, जिस तरह से यहां लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, उससे भी हमारे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास घटता है, लोगों को लगता है कि जब ये लोग संसद में जाकर ऐसी हरकतें करेंगे तो इनको वोट देने से क्या फायदा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से, स्पीकर मैडम और सभी दलों से आग्रह करूंगा कि सदन में जो ऐसी अव्यवस्था चलती है, जो बच्चे और लोग यहां संसद की कार्यवाही देखने आते हैं या जो लोग लोक सभा टीवी एवं अन्य चैनलों के माध्यम से लोक सभा की कार्यवाही देखते हैं तो जनप्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों के प्रति उनमें गलत भाव बनता है। वह गलत भाव ऐसे ही लोगों द्वारा बनाया जाता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादाओं को तार-तार कर देते हैं। ऐसे लोगों को मर्यादा में रखना भी हमें कानून के माध्यम से आना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि यहां आकर खुद नियम और कानून में नहीं रह सकता, वह देश के लिए क्या नियम-कानून बनाएगा, ऐसे व्यक्तियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई का हमें प्रावधान करना चाहिए। हमारे बच्चे पूछते हैं, स्कूल के बच्चे पूछते हैं कि आपकी संसद ऐसी होती है, आप लोग वहां यही काम करते हैं। वे लोग इससे मतलब नहीं रखते की संबंधित व्यक्ति किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, वे कहते हैं कि संसद में ऐसी कार्यवाही होती है। इसकी वजह से भी लोगों का मतदान में रुझान कम होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी इस चीज पर विस्तृत विचार करे कि किस तरीके से देश में मतदान को बढ़ाया जा सकता है, ताकि लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़े। जब

लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा, लोग इसे एक उत्सव के रूप में लेने लगेंगे, लोग इसे जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो उसी दिन से भारत प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में विश्व में अग्रणी देश बनकर निकलेगा।

आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए अनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में जो व्यवस्था है, वह मतदान के द्वारा ही चलती है। आजादी के बाद इस देश के सभी लोगों को बिना जाति, धर्म, सप्रदाय, अमीर-गरीब के भेदभाव के, वोट के रूप में एक ताकत दी गयी और इस ताकत का प्रयोग इस देश को चलाने के लिए इस देश के लोगों को करना था। उन्होंने किया भी, लेकिन जो अपेक्षाएं थीं कि मतदान के द्वारा एक ऐसी लोकप्रिय और विश्वसनीय सरकारों और जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो, जो उनके क्षेत्र की समस्याओं को उचित स्थान और उचित व्यक्तियों के समक्ष उठाकर, सदन में अपनी बात रखकर, उस क्षेत्र और देश के विकास में अपना योगदान करें। वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं, जिससे धीरे-धीरे लोगों का मतदान का प्रतिशत कम होता गया। इसके लिए मैं समझता हूं कि आजादी से पहले से के इतिहास पर हमें जरूर नजर डालनी चाहिए क्योंकि जिस समय हमारे देश में आजादी के लिए संघÂान हो रहा था, उस समय विचार करने वाले मुद्दे थे कि आजादी के बाद देश में क्या परिस्थितियां होंगी, देश को कैसे चलाना है, लेकिन उन पर विचार न करके, कुछ लोग कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक संगठन था, कोई राजनीतिक दल नहीं था, के नाम का फायदा उठाकर किस तरह से देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था में लगे रहे। जिसके लिए वास्तव में आजादी के बाद देश की क्या कार्ययोजना होगी, देश कैसे चलेगा, इसके लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं की गयी थी और उसी का परिणाम यह रहा कि वोट की ताकत का दुरूपयोग हुआ। वोट की ताकत को जाति-धर्म के नाम पर, भय और लालच पैदा करके धीरे-धीरे मतदान से लोगों का मोहभंग होने लगा। उसका दुÂपरिणाम हम लोगों ने देखा है।

अभी कुछ दिन पहले इसी सत्र में जब सदन चल रहा था तो ऐसे लोग जिनकी संख्या इस सदन के कुल सदस्यों के पांच प्रतिशत से भी अधिक नहीं है, ऐसे लोगों ने वैल में आकर 95 प्रतिशत लोगों की आवाज दबाने का काम किया। इस तरह की घटनाओं से ही देश के लोग मतदान करने में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हमने देखा है कि कैसे-कैसे आरोप यहां लगाए जा रहे हैं। हमारे नेताओं पर मिथ्या आरोप लगाकर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जैसे उन्होंने कोई घनघोर अपराध कर दिया हो। जबकि वे अपने पाप भूल गए। भोपाल गैस कांड की जो त्रासदी हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त हिन्दुस्तान में मौजूद था और उसे भगाने का काम तत्कालीन सरकार और उस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किया था। वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसे हवाईजहाज में बैठाने के लिए गए थे। वे लोग सदन को इस बात से बाधित करने का प्रयास करते हैं कि एक कैंसरग्रस्त महिला को इलाज के लिए क्यों किसी देश को कहा गया। पति-पत्नी के सम्बन्ध होते हैं, आपको याद होगा, हमारे पप्पू यादव जी बैठे हैं। इनके प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री को जब जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्य मंत्री बना दिया था। पति-पत्नी के सम्बन्ध में अगर सहभागिता अपराध श्रेणी में मानी जाए, तो क्या उनकी पत्नी को मुख्य मंत्री बनना चाहिए था?

आज एक प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, जो नैतिकता की बहुत दुहाई देते हैं। वह सजायाफ्ता व्यक्ति के साथ मंच को साझा करते हैं। उसके बाद भी वह दावा करते हैं कि वह सुशासन कर रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश में फिर से उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा भी वह दावा करते हैं। ऐसे दावों और घटनाओं को देखकर, वे लोग जो मतदान करना चाहते हैं, जिनकी स्वस्थ लोकतंत्र में आस्था है, उनके मतदान करने के अधिकार के प्रति मोहभंग होता है, परिणामस्वरूप मतदान का प्रतिशत कम होता है।

सभापति जी, ऐसे लोगों को अपने आइने में झांकना चाहिए। इस तरह से एक घटना बोफोर्स की हुई थी। आज एक मंत्री के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने केवल यही कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप अपने नियमों से इस कैंसरग्रस्त महिला को वीजा दे दें। भारत सरकार के पूर्व में एक कानून मंत्री थे, जिन्होंने बोफोर्स का मुलजिम क्वात्रोची था, जिसका खाता बंद कर दिया था, वह खाता ओपन कराने के लिए ब्रिटेन गए थे। वहां जाकर उन्होंने उसका एकाउंट खुलवाया था और उसने उस खाते से धन निकाल लिया था। ऐसे लोग आज की सरकार के मंत्री को मुलजिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने देखा है कि जब-जब देश में अधिक मतदान हुआ है, अच्छी सरकारें चुनी गई हैं। सभापति जी, आप 1977 को याद कीजिए। आप तो देश को दिशा दिखाने वाले नेता हैं और जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। सन् 1977 में जब चुनाव हुआ था और अधिक मतदान हुआ था। उस समय सरकार बदली थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद क्या हुआ, एक राजनैतिक दल, जिसकी हमेशा से इच्छा रही है कि यह देश उसके लिए बना है। वास्तव में उस समय परिस्थितियां ऐसी ही थीं। देश के लोगों के लिए, देश में सड़क, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी के लिए कोई योजना नहीं थी। योजना सिर्फ यह थी कि किसे प्रधान मंत्री बनाना है। प्रधान मंत्री बनाने के लिए ही इस देश का विभाजन कर दिया गया, लेकिन प्रधान मंत्री का पद सुरक्षित रखा गया। उन्होंने केवल प्रधान मंत्री बनने के लिए ही विचार-विमर्श किया, उसीके लिए ही योजना बनाई और विचार किया। देश के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उसीका परिणाम है कि उनके दल के लोग विपक्ष में रहते हुए भी यही मानते हैं कि वे सत्ता पक्ष में हैं। जब-जब उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा है, उन्होंने यही सोचा है।

सभापति जी, मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं। इससे पूर्व मैं विधायक रहा हूं। लेकिन आपकी योग्यता और ज्ञान के बारे में कुछ बताऊं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही तो उसका व्यवहार कैसा था। उन्होंने आपातकाल में क्या किया था। सदन में चुने हुए नेताओं को बिना दोÂा और वारंट के जेलों में भेज दिया था। इसी तरह 1989 में जब माननीय राजीव गांधी जी यहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर थे, तो चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन उन्होंने विपक्ष के नेता का पद नहीं छोड़ा था। उसके बाद वह विपक्ष के नेता भी बने रहे और उस सरकार के भी साथ रहे। इसी तरीके से 1996 और 1998 में देवेगौड़ा जी और गुजरात की सरकारों के समय हुआ। सन् 1999 में तो हद हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसा लगने लगा था, जब सदन में कारगिल युद्ध पर बहस हो रही थी, कि वह पाकिस्तान का पक्ष ले रही है। इन्होंने केवल इतना ही नहीं किया, राज्य सभा का भी दुरुपयोग किया गया है। राज्य सभा का जो सदन है, वह लोक सभा के जो बिल हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन पर अंकुश रखने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस जब-जब विपक्ष में रही है, कांग्रेस ने राज्य सभा का दुरुपयोग किया है। लोक सभा के कामों को बाधित करने का काम किया है। उन्होंने लगातार ऐसे प्रयास किए हैं, जिससे लोक सभा में चुनी हुई सरकार और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कामकाज को रोकने का प्रयास कांग्रेस ने राज्य सभा के द्वारा किया है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस व्यवस्था में बदलाव लाया जाना चाहिए। लोक सभा का चुनाव हो, उसके बाद हर बार लोक सभा के चुनाव के बाद राज्य सभा का पुनर्गठन किया जाए। जितने दल जिस अनुपात में यहां सीटें लेकर आते हैं, उनके प्रतिनिधि राज्य सभा में जाएं। राज्य सभा उच्च सदन है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सभा का काम लोक सभा में चुनी हुई लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार के कामों को रोकना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग यह सब कर रहे हैं। इस तरह के राजनैतिक दलों की वजह से ही देश में ऐसा वातावरण बनता है कि लोगों का मतदान करने का मन नहीं होता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब-जब सरकार बनी और कम मतदान हुआ है, उसका दुÂपरिणाम हमारे देश को भोगना पड़ा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सन् 1998 से 2004 तक चली थी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, सड़कों का जाल बिछाया था, देश की सीमाएं सुरक्षित की थीं और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद चुनाव आए, जिसमें मतदान कम हुआ और मतदान कम होने की वजह से ऐसी सरकार चुनी गयी जो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को प्रधानमंत्री तक नहीं बना पायी। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिन्होंने सीधे-सीधे कोई चुनाव नहीं जीता था। जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वह उन्हें के प्रति जवाबदेह रहे। उन्हीं के प्रति जवाबदेह रहने के कारण इस देश में पिछले दस साल में भुखमरी आयी, गरीबी आयी, महंगाई आयी। कोयला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और इसी तरह के लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले हुए, जिसका दुÂपरिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में देश का सम्मान घट गया, देश की सीमाएं असुरक्षित हो गयीं। आतंकवाद, महंगाई और भ्रÂाटाचार इस देश में पूरी तरह से फैल गया था। इस देश के लोगों को लगने लगा था कि यह देश बचेगा या नहीं? ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी जी के रूप में अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोÂिात किया तो इस देश के हताश और निराश लोगों को एक आशा की किरण दिखायी दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एनडीए की सरकार बनायी। उसके परिणामस्वरूप आप सभी ने देखा है कि एक साल के अंदर ही परिस्थितियां बदलने लगीं। अब लोगों को लगने लगा है कि यह सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है। अब उन्होंने हम लोगों को राज्य सभा में ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं रोक पा रहे थे और उनको लग रहा था कि मोदी जी तो जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। आतंकवादी घटनाओं पर हमने अंकुश लगाया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, महंगाई को कंट्रोल किया, शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलायीं। स्वच्छता अभियान चलाया, सब पढ़ें-सब बढ़ें और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं बनायीं। इस सरकार ने तय किया कि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था कि हम देश की कमजोरी को दूर करते।

हमारी सरकार ने तय किया कि जब तक हम इस देश में रहने वाली 60 लाख से अधिक महिलाओं को उनका सम्मान नहीं दिलाते, निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं करते, उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, तब तक यह देश मजबूत नहीं हो सकता है। 40 करोड़ गरीब लोग, जो रोजी-रोटी के लिए संघÂान कर रहे हैं, उन लोगों को यदि हम रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने तय किया कि उत्तर-पूर्व के हमारे जो राज्य हैं, जम्मू-कश्मीर है, जिसके बारे में भारत के नेताओं को रोज़-रोज़ कसम खानी पड़ती थी कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। लोग कहते थे कि उत्तर-पूर्व का फलां प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है। यह हम लोगों को कहना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था। हमारी सरकार ने तय किया कि उत्तर-पूर्व के जितने भी राज्य हैं, उनमें शिक्षा की, कनेक्टिविटी की ऐसी सुविधाएं करेंगे और रोजगार लाएंगे कि वहां के लोगों को लगे और वे स्वयं कहें कि हम इस देश का हिस्सा हैं और उसका परिणाम आपने देखा कि अभी नगालैंड के अतिवादी संगठन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा समझौता किया है।

हमने जम्मू-कश्मीर के ऐसे लोगों के साथ सरकार बनायी, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते थे। इसको इस सदन में स्वीकार करने में कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन हमने इसलिए सरकार बनायी कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारे संस्थापक थे, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बलिदान दिया था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब से हमने सरकार बनायी है, एक बार भी किसी नेता को यह नहीं कहना पड़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां तिरंगा फहराया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनायी है। अब किसी को यह दुहाई नहीं देनी पड़ती कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस तरह के काम हो रहे थे। हम लोग बहुत सारी योजनाएं लाये। हम लोगों ने गरीबों की चिंता की, एक-एक गरीब के लिए हम लोग जनधन योजना लाए। पहले लोगों ने बहुत शोर मचाया कि जनधन योजना क्या है। जनधन योजना के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले और खाते उन लोगों के खुले हैं, जिनके खाते बैंक में थे, उनके नहीं खुले, खाते उन लोगों के खुले, जिन लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं लांघा था। ऐसे गरीब लोगों के खाते खोलने के पीछे उद्देश्य उन्हें दी जाने वाली सहायता है। सरकारें आती हैं, सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी इसलिए दी जाती थी कि हमारे जो गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें हम देश की मुख्य धारा में लायें, लेकिन वह सब्सिडी कहां जाती थी, इसका पता नहीं चलता था। भारत की सरकार ने तय किया कि हम जनधन योजना के माध्यम से बैंकों से सारे ऐसे गरीब परिवारों को जोड़ेंगे और सब्सिडी सीधे उनके खाते में देंगे और वह सब्सिडी उनके खाते में देने का काम प्रारम्भ किया। उसके लिए प्रोत्साहन दिया, पांच हजार का ओवरड्राफ्ट देते हैं, एक लाख का बीमा देते हैं। एक लाख का दुर्घटना बीमा है और एक लाख का सामान्य बीमा है। प्रधान मंत्री बीमा योजना के द्वारा केवल 12 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा दिया। 330 रुपये खर्च करके दो लाख रुपये का बीमा दिया। ये वे चालीस करोड़ गरीब लोग हैं, जिन्हें हमने यह व्यवस्था दी है कि उनको आर्थिक संबल मिले, उनकी आर्थिक सुरक्षा हो और आज एक-एक गरीब के पास 6-6 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा है, उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। उनके रोजगार की हमने व्यवस्था की, हमने ऐसा किया है। जैसा अभी रूडी जी बैठे थे, स्किल डैवलपमैन्ट के माध्यम से भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम ऐसे हर नौजवान को जो गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, शहर में रहता है, वह पढ़ाई में भले ही पिछड़ गया हो, लेकिन उसे अगर कोई काम सीखना है, वह कोई काम जानना चाहता है तो वह काम को सीखे, आगे बढ़े और अपने स्किल के द्वारा वह रोजगार प्राप्त करे। उसके लिए यह सुविधा दी गई है कि पांच हजार से दस लाख रुपये तक भारत सरकार ने देने का मन बनाया है।

महोदय, महिलाओं के सशक्तीकरण की बात की गई है। ये सारे वे मुद्दे हैं, जो हमारी कमजोर नसें थी, आज हमने एक साल के अंदर ही सारे माहौल को बदला है और माहौल को बदलकर आज परिस्थितियां यह बनी हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान एक साल के अंदर बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवादियों के विरुद्ध म्यांमार में जो घटना हुई, हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन जहां जवाब देना था, वहां जवाब दिया गया। पाकिस्तान में भी जवाब दिया जा रहा है। लोग अपने आप कहने लगे हैं कि यह देश आतंकवाद से मुक्त होगा और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं और देश का सम्मान भी बढ़ा है। हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाएं हैं, जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है, लेकिन अब जब उन्हें लगने लगा कि इस तरीके का वातावरण बनता जा रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मतदान के प्रति लोगों में अरुचि क्यों होती हैं, मतदान के प्रति अरुचि इसलिए होती है कि हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी चिंता करेगी, लेकिन सरकार अगर यह करे कि उसमें बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी चुने जाएं, जो जाति, धर्म या लालच और भय के कारण चुने जाते हैं या अपने विभिन्न प्रकार के हथकंडे लगाकर चुन जाते हैं, जिसके कारण एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जाए। ऐसे जो परिणाम होते हैं, उनके कारण लोगों की मतदान के प्रति अरुचि होने लगती है। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास घटने लगता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर रोक के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मीडिया केवल उन चीजों को दिखा रहा है, जिससे उनकी टीआरपी बढ़े और उनकी टीआरपी इसीलिए बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहां का बहुत सारा मीडिया बाहर से वित्त पोÂिात होता है। विदेशों से वित्त पोÂिात मीडिया भारत को मजबूत नहीं देखना चाहता, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो यहां चुनकर आएं, उनका व्यवहार, उनका काम-काज करने का तरीका, उनका जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का ढंग है, नियमों-कानूनों का जानने की बात है, अगर वे पहले अपने ढंग को ठीक करेंगे और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो पूरे देश का लोकतंत्र में विश्वास जागेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे मतदान करना चाहिए। आप उदाहरण देख लीजिए कि जब-जब सरकारें बदली हैं, चाहे जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे जब अटल जी की सरकार आई और चाहे मोदी जी की सरकार आई, हर बार मतदान बढ़ा है और मतदान का प्रतिशत जब बढ़ता है, जब लोगों को अंदर से लगता है कि नहीं अब हमें देश के भले के लिए मतदान करना चाहिए। हम बहुत सारे कानून बना दें, प्रतिबंध लगा दें, उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं है। मतदान का प्रतिशत स्वप्रेरणा से बढ़ेगा। स्वप्रेरणा से लोकतंत्र में जब विश्वास बढ़ेगा तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने ढंग से आदर्श प्रस्तुत करें। जिस तरीके का यहां वातावरण बनता है, जिस तरीके के वे काम करते हैं, उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सभापति जी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जिनके कारण यहां पर जो लोग हैं, उनका आदर्श प्रस्तुत हो, लोगों का विश्वास जगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जिसके कारण यहां पर जो लोग हैं, उनका आदर्श प्रस्तुत हो, उनका विश्वास जागे, लोगों का लोकतंत्र के प्रति यह विश्वास हो कि हम जिनको चुन कर भेज रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जैसे अभी डॉ. मनोज राजोरिया जी कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मतदान स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मतदान नहीं कर पाते हैं। मतदान के लिए एक दिन फिक्स होता है, उस दिन किसी का काम भी पड़ सकता है। जिसके कारण अगर अनिवार्य मतदान करने की बात भी हम करें तो उसमें बाधाएं आती हैं। मेरा यह कहना है कि मतदान स्थल कोई हो, जो उन्होंने कहा है कि डिजिटल वोटिंग की व्यवस्था की जाए कि हम जहां पर भी उपस्थित हैं, वहां पर हम मतदान कर सकें और एक दिन के बजाय एक से तीन दिन या एक से पांच दिन या एक से सात दिन तक मतदान जहां पर भी वह चाहे कर सके। अगर किसी तरह की व्यवस्था की जाएगी तो गुप्त मतदान का जो हमारा सिस्टम है, वह भी प्रभावित नहीं होगा और लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार मतदान स्थल जो उनके पास होगा और जब समय होगा, वे मतदान कर सकते हैं। एक से सात दिन तक मतदान हो उसके बाद काउंटिंग हो। आदर्श लोग प्रस्तुत करें जो जनप्रतिनिधि चुने जाएं। इससे हम लोग मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकेंगे। यही मेरा अनुरोध है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। अनिवार्य मतदान हम लोग करेंगे, इस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन इसको कानून प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। स्वप्रेरणा के द्वारा लोगों के अंदर इस तरीके का भाव पैदा करना चाहिए कि उनके अंदर लोकतंत्र के प्रति विश्वास हो, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास हो, और उनको लगे कि जिनको हमने चुना है, जिस सरकार को चुना है, यह देश के लिए अच्छा काम करेगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी, देश खुशहाल होगा, लोग खुशहाल होंगे तो स्वयं ही लोग प्रेरित हो कर मतदान स्थल तक आएंगे और मतदान करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

-

16.25 hrs

COMPULSORY VOTING BILL, 2014 â€" Contd.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल के लिए सीगीवाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हम अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अतीत को भूल जाते हैं। शिव के काल से लेकर आज तक सामाजिक, सांस्कृतिक शोÂाण के खिलाफ इस भारत के अनेक ऋÂिा-मुनियों ने, अनेक महापुरूÂाों ने समय-समय पर इस दुनिया में आकर मानव कल्याण के लिए, सार्वभौमिक समाज के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए अनेकों कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे शिव हों, उन्होंने भी मनुÂय के निर्माण की कल्पना की।

जब कृÂण आए तो उन्होंने भी मानवीय निर्माण के लिए कर्म योग की सम्भावनाओं को यहाँ तलाशा। राम आए तो उन्होंने चरित्र के निर्माण की कल्पना की। मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने सम्पूर्ण मानव को प्रेम, मदद और दया के सवाल पर समाज को ले चलने की कल्पना की। इसी तरह से नानक, बुद्ध, कबीर थे। हमारे विवेकानन्द जी आए तो प्रथम तौर पर उन्होंने स्पÂट कहा था कि मैन मेकिंग के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मानव निर्माण की कल्पना जीवन का सबसे मूल लक्ष्य होना चाहिए।

मुझे लगता है कि अनिवार्य मतदान करने से पहले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, भाÂ◌ा और क्षेत्रवाद, लिंग आदि के सवाल पर सोचना चाहिए। आजादी के सैंकड़ो, हजारों वÂ◌ा से लेकर आज तक, जब तक इस शोÂ◌ाण के सामाजिक गैप को आप दूर नहीं करेंगे, जिस तरीके का शोÂ◌ाण आज भी इस दुनिया में 90-92 प्रतिशत लोगों के बीच है। भारत की लगभग 124 करोड़ की आबादी में 82 प्रतिशत लोग 27 रूपए से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में 82 प्रतिशत लोग ऐसे हैं। शैक्षणिक रूप से आठ प्रतिशत भी समाज के अन्तिम व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से 78.8 प्रतिशत लोगों की, नए सर्वे के मुताबिक, 4,800 से ज्यादा हमारी मासिक आय नहीं है। जिस देश में व्यक्ति 24 रूपए में एक दिन खाए और इस हिन्दुस्तान में डाबरमैन के कुत्तों पर, पप्पू यादव के कुत्तों पर 300 रूपया एक दिन में खर्च हो। ऐसे में यदि हम अनिवार्य मतदान की कल्पना करते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा। आप याद करिए कि राजा-महाराजा भी अपने बच्चों को गुरूकुल में भेजा करते थे। वे इसलिए उन्हें गुरूकुल में भेजा करते थे ताकि बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से मनुÂय के रूप में उनका निर्माण हो सके। सभी ने कल्पना की, हमारे गाँधी जी ने भी कल्पना की, सुभाÂ◌ा चन्द्र बोÂ◌ा ने भी कल्पना की, पटेल, महात्मा फुले, पेरियार आदि सभी लोगों का इस देश में जो संघÂ◌ा रहा, महोदय, आप तो इस संघÂ◌ा के प्रतीक बिहार में रहे हैं, आप लड़ते रहे हैं, सभी लोगों का जो संघÂ◌ा रहा है, सबका लक्ष्य सिर्फ मनुÂय था। मनुÂय के अस्तित्व के लिए, मनुÂय के निर्माण के लिए, मनुÂय के शोÂ◌ाण को रोकने के लिए, मनुÂय की सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति के लिए सभी का संघÂ◌ा रहा है।

आजादी के बाद में राम विलास पासवान जी या जीतन राम माँझी या अन्य व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, राम विलास पासवान जी के कपड़े उठाने में पप्पू यादव को, पप्पू झा को, पप्पू सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी थाली हम धोते हैं लेकिन गाँव में हम जाते हैं तो पप्पू पासवान के शरीर की गंध से ही सौ किलोमीटर दूर होते हैं। तो आज़ादी के 67 साल के बाद क्या यही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है? आज भी 90-99 प्रतिशत स्थिति जो समाज के गरीबों की है, कमज़ोरों की है, मछुआरों की है, वह दयनीय है। इस देश में आप देखिये कि कब देश की आज़ादी पर प्रथम बार वोट मिला? देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस को जो लंबे समय राज करने का मौका मिला, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश की आज़ादी में लोगों की अवधारणा बनी कि कांग्रेस एक समाज था, कांग्रेस एक ताकत थी, विचारधारा थी, कांग्रेस ने ही हमें आज़ाद कराया और लंबे समय तक उनको वोट का अधिकार मिला। लेकिन इस देश में वोट का अधिकार आप देखिए तो याद करिए कि आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी की शहादत जब हुई तो लोगों ने कहा कि इस देश में राजीव जी टुअर हो गए, वोट डाल दो। सबसे पूछा तो कहा कि टुअर हो गए। विवेक से क्या वोट पड़ा? इस देश में मंडल और कमंडल के नाम पर वोट पड़ा। मंडलवादी एक हुए और कमंडलवादी एक हुए। कमंडलवादी जब एक हुए, तब एक वोट पड़ा। मंडलवादी जब एक हुए, तब एक वोट पड़ा। इस देश में रोटी के सवाल पर, विकास के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, नैतिकता के सवाल पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक क्रांति के सवाल पर कभी भी हिन्दुस्तान में वोट नहीं पड़ा।

माननीय सभापति: एक मिनट रुकिए।

चूँकि इस विधेयक के लिए जितना समय निर्धारित था, वह समय समाप्त हो चुका है। सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के लिए एक घंटा समय और बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

माननीय सभापति : इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

राजेश रंजन जी, आप अपना भाÂ◌ाण जारी रखें।

श्री राजेश रंजन: सभापति जी, इस देश में हमेशा से भाÂ◌ा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, लिंग के नाम पर वोट दिया गया है। यदि जाति और धर्म नहीं हों तो इस सदन में बैठने वाला एक भी सांसद चुनाव जीतकर न आए। सवाल उठता है कि जाति ज़हर बन चुकी है और जाति को ज़हर बनाने वाले लोग कौन हैं? जब महाभारत के काल में कृÂण ने कर्मयोग की बात उठाई थी और समाज में जिस तरीके से एक ही परिवार में ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहा गया, काम करने वाले को शूद्र कहा गया, व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया, संघÂ◌ा करने वाले और लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा गया। यह जाति व्यवस्था इस दुनिया में कब आई? राजा-महाराजाओं के काल के बाद शंकराचार्य का जो विराट काल रहा, तब के बाद से जाति व्यवस्था के आवरण से शोÂ◌ाण की नई पद्धति की शुरुआत हुई। शोÂ◌ाण की शुरुआत आदम काल से है लेकिन शोÂ◌ाण की जो पद्धति की शुरुआत इस समाज में हुई, राजा-महाराजाओं के काल के बाद, फिर ज़मींदारी प्रथा के बाद और फिर आज तक, कभी भगवान के नाम पर, कभी भाग्य के नाम पर, कभी किस्मत के नाम पर आडंबर और कर्मकांड में व्यक्ति को जोड़कर भाग्य और किस्मत के सहारे से जीने वाले लोग आज इस हिन्दुस्तान में गरीब लोग हैं। राम और कृÂण की रामध्वनि करने वाले कौन लोग हैं? पप्पू यादव का बेटा-बेटी रामध्वनि करने नहीं जाता है। रामध्वनि करने जाता है जो मेरे यहाँ काम करता है, उस पप्पू पासवान का बेटा बेटी। आप जाकर देखिये किस तरह समाज को बांटकर रखा गया है। यदि आप रामध्वनि करने वाले, कृÂण का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले किसी गरीब से पूछिये तो वह कहेगा कि मेरी किस्मत में ही यही है, मेरा भाग्य ही सही नहीं है, भगवान के भरोसे है।

मुझे तो एक बार बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने किसी से पूछा कि आज से सौ साल पहले जो मेरे दादा के यहाँ काम करते थे, आज उसका पोता मेरे साथ काम करता है, यह गरीबी क्यों? तो एक ज्योतिÂ◌ा ने, पंडित जी ने हमको कहा कि ये लोग इतना पाप कर चुके हैं कि बैंक बैलैंस निकल ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि जो लोग हिन्दुस्तान में राज कर रहे हैं, नेहरू जी ने राज किया, अन्य लोगों ने राज किया, तो उसने कहा कि वे इतना पुण्य कर चुके हैं कि इनका बैंक बैलैन्स पुण्य से खाली ही नहीं हो रहा। मुझे आश्चर्य लगा कि इनका बैंक बैलैन्स पुण्य से खाली नहीं हो रहा और गरीब का पाप का बैंक बैलैन्स खत्म नहीं हो रहा है। क्या सवाल इस देश में है? इसलिए जो वोट का सवाल है, आप हमें बता दो कि यदि जाति नहीं है तो गठबंधन किस काम का? क्या विचारों पर गठबंधन हो रहा है? जाति के नाम पर आज बिहार में जो गठबंधन हुआ है, यह जाति के आधार पर गठबंधन हो रहा है या विचारों के आधार पर गठबंधन हो रहा है?

इस हिन्दुस्तान में यदि वोट को इतना ही कम्पलसरी करना चाहते हैं तो फिर आजादी के बाद याद करिये, सबसे पहले खैरात देने की शुरूआत, सभापति महोदय, आपको याद होगा, एन.टी. रामाराव जी की सरकार में दो रुपये किलो चावल देने की परम्परा की शुरूआत हुई थी। एम.रामचन्द्रन जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी फ्री देने की शुरूआत हुई थी। याद करिये, बीजू दादा नहीं रहे, सबसे ज्यादा माइन्स और सबसे ज्यादा अभ्रक, सबसे ज्यादा लोहा कहां है, उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे ज्यादा माइन्स, अभ्रक और लोहा कालाहान्डी में है और कालाहान्डी में सबसे ज्यादा अभ्रक और माइन्स हैं और सबसे ज्यादा मौत से मरने वाली और गरीब भी कालाहान्डी है। दो किलो चावल और चार किलो आटा देकर 35 सालों से उड़ीसा में देकर के आज सबसे अन्तिम पायदान में भारत में कौन है, उड़ीसा। फ्री देने की आदत, मिड डे मील, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा, ठीक है, आपने इन सामाजिक चीजों के लिए दिया, मेरी उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आदमी जिंदगी जी सकता था।

आजादी के 67 साल के बाद आप 82 प्रतिशत लोगों के लिए फूड बिल लाते हो, जिसकी थाली में खाना नहीं होता है। क्यों खाना नहीं है, हिन्दुस्तान के इतिहास में खाना उनके लिए क्यों नहीं, मैं जानना चाहता हूं। 67 साल के बाद इस पर बहस नहीं करिएगा, हिन्दुस्तान में दवाई के बगैर, पैसे के अभाव में 07.34 करोड़ लोग साल में मरते हैं, 33 लाख लोग यदि भूख से मरते हैं तो वे गरीब होते हैं। 12.33 लाख यदि कर्ज से मरने वाले किसान हैं तो वे गरीब हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि हिन्दुस्तान की आजादी के 67 साल के बाद, याद करिये, आजादी के वक्त 41 करोड़ आबादी थी, उनमें से 21 करोड़ किसान थे, तब हमारा आमदनी थी, 15.3 और जब हम 67 प्रतिशत किसान हुए, तब हमारी आमदनी हो गई तीन पाइंट कुछ, आज भारत में 8.2 प्रतिशत किसानों के पास पक्के मकान नहीं हैं। आज भारत में 4.6 प्रतिशत लोगों के पास दो जोड़ी बैल नहीं हैं। 2.3 लोगों के पास ट्रैक्टर्स नहीं हैं, 3.6 प्रतिशत लोगों के पास बोरिंग नहीं हैं, उस हिन्दुस्तान में हम कौन सी कल्पना कर रहे हैं। 18.8 प्रतिशत हमारी शैक्षणिक ग्रोथ है और सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा साउथ, केरल और सबसे ज्यादा अन्ध भक्ति भी वहीं है। 6 महीने गर्भ में बच्चे रखने वाले हम लोग और तीन साल के, 6 साल के बच्चे को हम लोग वहां पर सामाजिक कारणों से भगवान पर दान दे देते हैं। यह हमारा भारत है। आज भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया, पूनिया जी को, यह मेरा भारत है। समाज की स्थिति कहां पर है।

हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा किसान और सबसे बुरी स्थिति भारत में किसानों की है। 49 लाख हजार हैक्टेयर जमीन खाली है और बिहार की स्थिति, सीग्रीवाल साहब, आप जानते हैं, 78.8 प्रतिशत आदमी 4600 रुपये में गुजर-बसर करता है और 82 से ऊपर 24 रुपये के नीचे, भारत का 27 रुपये है और बिहार का 24 रुपये है। बिहार में एजुकेशन की ग्रोथ क्या है, आप भी जानते हैं, आठ पोइंट कुछ है, सबसे ज्यादा तो हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं, हम जब इन चीजों की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि क्या है, बेघर जाति का। इस भारत में क्रान्ति कब हुई है? 1942 के बाद कौन सी क्रान्ति हुई, जे.पी. और लोहिया जी ने जब वैचारिक लड़ाई और संघÂ◌ा की शुरूआत की तो क्या था, शोÂ◌ाण के खिलाफ। किसका शोÂ◌ाण था? लम्बे समय से देश में जो लोग राज कर रहे थे,

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का एक परिवर्तन हो, दुनिया में एक परिवर्तन की कल्पना थी, वह इकोनोमिकल ग्रोथ के लिए थी। भारत में एक परिवर्तन की कल्पना आई, सामाजिक न्याय के ग्रोथ के लिए, लेकिन हुआ क्या? सम्पूर्ण विकास की कल्पना की गई, सम्पूर्ण मानव की कल्पना की गई, याद करिये, आप ही कहा करते थे, हमको आपका एक भाÂ◌ाण याद आ गया, सभापति जी, गोपालकृÂण गोखले जी ने 1911 में समान एजुकेशन की बात की थी। महात्मा फूले और पेरियार जी ने सबसे ज्यादा अपनी बातों में क्या कहा था, उन्होंने कहा था सबसे अत्यधिक कर देने वाला दलित है, गरीब है, कमजोर वर्ग है तो सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन का कमजोरों पर, गरीबों पर, दलितों पर खर्च होना चाहिए, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में क्यों नहीं हुआ? क्यों समान एजुकेशन आज तक नहीं है, 1964 और 1966 में पहली बार एक आयोग बना था, याद करिये, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने समान एजुकेशन के बारे में कल्पना की थी। उसके बाद दूसरा आयोग बना - मुचकुंद दूबे आयोग। उसने एजुकेशन के बारे में कहा कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कम्पलसरी क्यों होना चाहिए।

महोदय, अभी स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट आयी है। मैं भारत सरकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्लीनिकल एक्ट के बारे में राय दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लीनिकल एक्ट लागू होनी चाहिए। अमेरिका और जापान ने एक सर्वे किया कि भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण इसका मेडिकल सिस्टम है, यानी दवाई और जांच। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक अव्यवस्था, शैक्षणिक माफिया। यह जो शैक्षणिक अराजकता है, आप इससे भटक जाएंगे। यह जो मेडिकल सिस्टम में अराजकता है, यह जो माफियागिरी है, तो एम्स को छोड़ दीजिए और यह बताइए कि बिहार में कौन-सा अस्पताल है, जहां दवाई मिलती है? कौन-सा अस्पताल है, जहां वेंटिलेटर की सुविधा है? इसमें गरीबों की स्थिति क्या है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस बात को आपने उठाया है, उसमें सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखे बिना क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इससे कौन-सी क्रांति होगी? इससे सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। आप समान एजुकेशन की कल्पना भी नहीं करेंगे। एक तरफ, दुनिया के सबसे महंगे अस्पताल में पप्पू यादव का बेटा-बेटी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, और दूसरी तरफ, सबसे खराब अस्पताल में, जहां कुत्ता बैठा रहता है, वहां हिन्दुस्तान का अंतिम गरीब व्यक्ति इलाज कराएगा। क्या वैसे अस्पताल में गरीबों का स्वास्थ्य लाभ होगा?

सभापति महोदय, बिहार में 8,600 गांव हैं और उनमें से 5,400 गांवों में मध्य विद्यालय तक नहीं है। 4.2औ विद्यालयों में टीचर नहीं हैं। जो टीचर हैं, वे भी वैसे हैं, जिनकी न तो क्वांटिटी है और न ही क्वालिटी। वहां बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? वहां डॉक्टर कैसे हैं, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? इसलिए यदि हम गरीबों के बेसिक सवालों को नहीं उठाएंगे, और यदि हम उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक कल्पना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

वोट, वोट तो दारू पर दिया जाता है। हम खरीदते हैं। इस हिन्दुस्तान में वोट तो पैसे पर बिकते हैं। अभी बिहार में विधान परिÂ◌ाद के चुनाव में क्या हुआ? इसे बंद करिए। मैं तो यह कहूंगा कि यदि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में विधान परिÂ◌ाद नहीं है तो बिहार का विधान परिÂ◌ाद भी बंद होना चाहिए। वहां कौन गया -गांजा माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, शराब माफिया। ये सब के सब विधान परिÂ◌ाद में गए और सब पैसों से खरीदे गए। उन्होंने 1200 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्हें टिकट किसने दिया? सिग्रीवाल साहब, टिकट नेता ने दिया। टिकट किसको दिया जाता है? सिग्रीवाल साहब, यदि आपकी जाति के लोग छपरा में हैं, शिवहर में हैं तो आपको टिकट मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है, ताकत है तो आपको टिकट मिलेगा। यदि एक कॉमन आदमी को टिकट देने की बात है तो एक डी.जी.पी. नौकरी से हट कर बेगूसराय से चुनाव लड़ने गए थे। उन्हें तीन हजार वोट भी नहीं मिले। क्या इस देश में वोट मिलेगा, जहां पर नैतिक और ऊंचे मूल्यों की बात नहीं होगी, जहां पर लम्बा इकोनॉमिक गैप होगा? क्या वहां पर आप कम्पलसरी वोटिंग की बात करना चाहते हैं? इस हिन्दुस्तान में इसका सवाल ही नहीं उठता।

महोदय, मैं एक बात का आग्रह करना चाहूंगा। इतने लम्बे गैप के बाद और इतने लम्बे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोÂ◌ाण के गैप के बाद हिन्दुस्तान में कम्पलसरी वोटिंग की कल्पना नहीं की जा सकती? हम कभी टुअर होने के सवाल को, कभी मंडल को, कभी कमंडल के सवाल को उठाते हैं। लेकिन जिस हिन्दुस्तान ने रोटी के सवाल पर, भय के सवाल पर, भूख के सवाल पर कभी क्रांति न की हो, और जहां हमेशा भाÂ◌ा और क्षेत्रवाद के आधार पर बात की गयी, उस हिन्दुस्तान में यदि हम इसकी कल्पना करें तो क्या होगा?

महोदय, दिल्ली में क्या हुआ? वाइ-फाइ फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और अगर उनका बस चलता तो वे यमुना में दूध भी फ्री कर देते? वोट किसे मिला? यहां के बौद्धिक लोगों ने वोट किस पर दिया? यहां की महिलाओं ने वोट किस पर दिया? उन्होंने वोट दिया कि आधी कीमत पर उन्हें बिजली मिल जाएगी। हिन्दुस्तान के इतिहास में अगर किसी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक एनार्की पैदा की, अगर किसी ने राजनीतिक डेथ वारंट लिखा, तो उसका नाम ... □ है, जिसने आने वाले भविÂय को चुनौती दी।

माननीय सभापति: किसी का नाम नहीं लीजिए।

श्री राजेश रंजन : ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में क्या हुआ? यहां हमेशा सपना दिखाया गया। कभी दो किलोग्राम चावल का सपना दिखाया गया तो बिहार में साइकिल दिया गया। साइकिल किसको दिया? बेटी को। वाह रे वाह, आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान में बिहार की 9,335 लड़कियां टेक्नीकल एजुकेशन नहीं ले पाई। नीतीश कुमार को शायद इसका पता है या नहीं, पर मैंने उन्हें यह भेजा था। यह उन्हीं की वेबसाइट पर था। वहां 4.2 प्रतिशत टीचर नहीं है, 5,400 गांवों में मध्य विद्यालय नहीं हैं। साइकिल लेकर वोट ले लिया। इस बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शराब रोक देंगे। अभी चार एमएलसी को शराब माफिया को दिया, पांच सौ करोड़ लेकर शराब वाले को दिया और कह रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो शराब रोक देंगे, ताकि महिलाएं उनको वोट दे दें।

मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि शराब, शबाब, कबाब, धन और जाति की जो प्रासंगिकता है, इसको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैप को बहुत गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की व्यवस्था को, 92 प्रतिशत लोगों के सवाल को समझना होगा। जब तक उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोÂ◌ाण को नहीं रोकेंगे, जब तक कुत्ते से भी कम उसकी आमदनी और खर्च होगा, तब तक हिंदुस्तान में कंपल्सरी वोट की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि कंपल्सरी वोट करना हो तो आपको एकरूपता के बारे में सोचना होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में मानव निर्माण की कल्पना की गई थी, हमारे पूर्वजों ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, संपूर्ण विकास की कल्पना की थी।

अंत में, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्, चिकित्सा व शिक्षा और फंडामेंटल राइट सबके लिए न्याय समान, सबकी प्रतिÂठा समान, सबका धर्म समान, समाज के हर व्यक्ति को न्याय के साथ आगे बढ़ाना जब तक नहीं तय होगा, तब तक वोट की कल्पना बेकार है। धन्यवाद।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : सभापति जी, आज मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी द्वारा लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल, अनिवार्य मतदान के विÂ◌ाय में, पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी माननीय पप्पू यादव जी गरीबों की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाकर अनिवार्य मतदान की बात सोचनी चाहिए, इस प्रकार की बात कर रहे थे। शायद इनको भी याद है और हम सबको याद है कि हिंदुस्तान सैकड़ों वÂ◌ाó गुलाम था और गुलाम होने के कारण हिंदुस्तान में तमाम चीजों पर, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, स्वतंत्रता का प्रतिबंध, मतदान का प्रतिबंध, आजादी का प्रतिबंध, शिक्षा का प्रतिबंध, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का प्रतिबंध। इसको लेकर हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों ने सैकड़ों वÂ◌ाó आंदोलन किया, लाखों नौजवानों ने कुर्बानी दी। सबके मन में यह था कि हमारा देश आजाद होगा, हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक होंगे, हमको हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी, मतदान की भी हमें स्वतंत्रता होगी, हमें बोलने की भी स्वतंत्रता होगी, शिक्षा ग्रहण करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस नाते इस देश के लाखों नौजवानों ने संघÂ◌ाó किया, कुर्बानी दी, तब वÂ◌ाó 1947 में यह देश आजाद हुआ।

एक आंकड़ा मेरे पास है। जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब देश में सन् 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13 प्रतिशत जनता को मतदान देने का अधिकार था। यह क्यों था? जो अंग्रेज शासक थे, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके एजेंट के रूप में जो काम करते थे, विभिन्न प्रकार की शर्त जोड़कर उन्हीं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। इस नाते इस देश में सैकड़ों वÂ◌ाó आंदोलन हुए, देश के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ। मैं आज यह कह सकता हूं कि आज जब देश आजाद हुआ है, तो आज भी 35, 40, 45, 50, 55 प्रतिशत वोट पाकर सरकारें बन रही हैं, लगभग आधे लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। जो मतदान नहीं कर रहे हैं, वे कौन से लोग हैं? मुझे लगता है, वे वही लोग हैं, जो शोÂ◌ित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके यहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। जब वोट देना अनिवार्य नहीं रहता है, शत-प्रतिशत लोग वोट दें, यह अनिवार्यता नहीं रहती है, तो लालच देकर, धमकी देकर, बंदूक दिखाकर उनका वोट लिया जाता है। मेरा मानना है कि लोगों को वोट के लिए अनिवार्य करना चाहिए और जब वोट के लिए अनिवार्य होगा, तो निश्चित रूप से जो पैसे के आधार पर वोट खरीदे जाते हैं, शराब बांटकर वोट खरीदे जाते हैं, धमकी देकर वोट लिया जाता है, ऐसी प्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगेगा। इस नाते मैं यह मानता हूं कि शत-प्रतिशत लोगों को वोट देना अनिवार्य किया जाए। यह हमारी मांग

है। वÂर्ष 2014 के मतदान में सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। जब ज्यादा लोग मतदान करते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छी सरकार आती है। उस सरकार से हर वर्ग के लोग, चाहे वह गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिन्दू या मुसलमान हों, सभी लोगो को अपेक्षाएं रहती है। हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से लोगों की अपेक्षायें हैं। चाहे वह गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिन्दू या मुसलमान हो, सभी लोगें ने मत देकर इस सरकार को चुना है। सबको यह एहसास है कि यह हमारी सरकार है, यह अपनी सरकार है, इस नाते यह सरकार इस काम को करेगी तो अच्छा रहेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, चूंकि वह सबका वोट पाये हैं, सभी क्षेत्रों का वोट पाये हैं, सभी वर्गों का वोट पाये हैं, इस नाते गरीबों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

श्री राजेश रंजन: सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति : आप रूल बताइए। किस रूल के तहत?

श्री राजेश रंजन: अभी बिहार में लाठी चार्ज से दो महिलाओं की मौत हो गयी। **...**(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रूल में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है। हरीश जी आप अपनी बात कहें।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

<u>16.51 hrs</u>

At this stage, Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। आप कृपया शांत रहिए।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप अपनी बात जारी रखें।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : यह हमारे सदन का विÂषय नहीं है।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: सभापति महोदय, 22 देशों में अनिवार्य मतदान है। **...**(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)**...**□

माननीय सभापति : आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं। आप इस विÂषय को सोमवार को सदन में उठा सकते हैं। उस दिन आपके विÂषय को ले लिया जायेगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अनावश्यक ही सदन की कार्यवाई में बाधा पैदा कर रहे हैं।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह आपकी बात सुन रहे हैं।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : यह बिहार सरकार का काम है, यह क्या करेंगे।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप माननीय सदस्य को बात समाप्त करने दीजिए, उसके बाद इस पर विचार किया जायेगा।

â€¦(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी सीट पर जाइए। यह कोई तरीका नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

18.03 hrs

At this stage, Hon. Member Shri Rajesh Ranjan went back to his seat.

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: सभापति महोदय, 22 देशों में अनिवार्य मतदान है। हमारे प्रधानंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक विधेयक गुजरात विधान सभा में लाये थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू किया जाये और वहां की विधान सभा ने इस विधेयक को बहुमत से पास किया था। मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में हर क्षेत्र का विकास हो, गरीबों को हर प्रकार का अधिकार मिले, गरीब भी खुशहाल हो, उसको शिक्षा, चिकित्सा, नौकरियों में विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिले, इसलिए मतदान को अनिवार्य करना चाहिए। टैक्स पेयर्स बार-बार यह कहते हैं कि सरकार हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, वह इसलिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने टैक्स दिया है और सरकार से जवाब-तलब करना, उनका अधिकार है। अगर सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है तो हम उस पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति मतदान करेगा तो सरकार की हर गतिविधि पर उनकी नजर होगी। सरकार अच्छा काम करेगी, उसकी प्रशंसा आम जनता करेगी लेकिन अगर सरकार गलत काम करेगी तो उस पर प्रश्न चिन्ह आम जनता खड़ा करेगी। इस नाते आवश्यक है कि मतदान को आवश्यक किया जाये। आने वाले समय में जागरूकता के साथ-साथ शिक्षा आवश्यक है। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि 67 वÂ◌ा◌ें के बाद भी हिन्दुस्तान में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर स्कूल, चिकित्सा की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चलने के लिए रास्ता और पीने के लिए पानी नहीं है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। पिछले 67 वÂ◌ा◌ें में कौन-सी ऐसी सरकार थी, किस दल की ऐसी सरकार थी, जिसने मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नौजवानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं पप्पू जी से भी कहूंगा, उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि वे इसके विरोध में हैं, यह अभी लागू नहीं होना चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपना विचार बदलिए क्योंकि अगर यह लागू नहीं होगा तो जो राजनीतिक दल पिछले 65 वÂ◌ा◌ें में शासन में थे...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : लागू होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: बड़े-बड़े पदों पर हैं, अच्छा-खासा पैसा कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, वही लोग बार-बार जीतकर आते हैं। तमाम बड़े-बड़े नेताओं के लड़के चुनाव जीतकर आते हैं क्योंकि उनके पास हर प्रकार के संसाधन हैं, वे वोटरों को प्रभावित करते हैं। तमाम क्षेत्रों में जाकर वोट को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने का काम करते हैं। इस नाते मेरा मानना है कि गरीब का बेटा तभी आकर लोक सभा में बोल सकता है, किसान का बेटा तभी आकर लोक सभा में बोल सकता है जब अनिवार्य मतदान होगा। तब अच्छे लोग चुने जाएंगे। न अपराधी चुना जाएगा, न पैसे वाले चुने जाएंगे, न शराब माफिया चुने जाएंगे। जब गरीब व्यक्ति मतदान करेगा, किसान, मजदूर मतदान करेगा, अगड़ा-पिछड़ा मतदान करेगा, शत-प्रतिशत मतदान होगा, तभी अच्छे लोग चुने जाएंगे।

अभी हमारे टेनी जी कह रहे थे कि लोक सभा में जिस प्रकार व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार एक पार्टी के कुछ लोगों को लग रहा है कि हिन्दुस्तान में जो माननीय मोदी जी की सरकार है, वह पांच वÂ◌ा◌ें में ऐसा काम कर देगी कि हमारे 60 वÂ◌ा◌ें की तुलना देश की जनता करेगी, इस नाते ऐसा कुछ किया जाए कि काम ही न होने दिया जाए। जिस प्रकार 14 महीने में गरीबों की जन-धन योजना से लेकर सुरक्षा बीमा, अटल पैंशन योजना, आजीवन बीमा आदि तमाम ऐसी योजनाएं मोदी जी लाए हैं, उससे देश के गरीबों को लग रहा है कि यह हमारी सरकार है, हमारी पीड़ा समझने वाली सरकार है क्योंकि मोदी जी भी उसी गरीबी से उठकर यहां आए हैं। उन्हें यह एहसास है कि गरीबों की पीड़ा क्या होती है। हिन्दुस्तान में 20 करोड़ ऐसे लोग थे जो यह नहीं जानते थे कि बैंक क्या होता है, बैंक में क्या-क्या होता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वे खाते नहीं खुलवा सकते थे। मोदी जी ने कहा कि अब पैसे की आवश्यकता नहीं है, जीरो बैलेंस पर हम खाता खुलवाएंगे और केवल खाता ही नहीं खुलवाएंगे बल्कि उन्हें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देंगे, 30 हजार रुपये का आजीवन बीमा देंगे, 5 हजार रुपये का ओवर ड्राफ्ट देंगे। वे इस प्रकार की योजना लाए और 14 करोड़ लोगों ने हिन्दुस्तान में खाता खुलवाया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी।

हम लोग गांव में रहते थे। गांव में पट्टिदारी में जब आपस में झगड़ा होता था तो लोग ताना मारते थे। अगर कोई सरकारी नौकरी में रहता था तो कहते थे कि इनका क्या है, 60 साल तक इन्हें तनख्वाह मिलेगी, 60 साल के बाद भी सरकार कर्जदार है, इन्हें पैंशन देगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसा प्रधान मंत्री होगा, कोई ऐसी सरकार आएगी जो हर व्यक्ति के लिए पैंशन योजना लेकर आएगी। अटल पैंशन योजना माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वह नौकरी में हो या नहीं, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो, अगर वह किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार है तो 60 साल के बाद पैंशन पाएगा। वह जब तक जीवित रहेगा तब तक पैंशन पाएगा, नहीं जीवित रहेगा तो उसकी पत्नी पैंशन पाएगी। पत्नी नहीं रहेगी तो उसके परिवार को जोड़कर दे दी जाएगी। तमाम ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है क्योंकि हिन्दुस्तान के अधिकतम मतदाताओं ने माननीय मोदी जी को चुना है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस नाते आज मोदी जी के ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दबाव भी है कि आने वाले समय में जिन गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, समाज के जिन वर्गों ने हमें वोट दिया है, हमें उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसे अनिवार्य करना चाहिए। अगर अनिवार्य मतदान होगा तो चुनाव में जो तमाम प्रकार का दुरुपयोग होता है, उस पर प्रतिबंध लगेगा। अच्छे लोग चुनकर आएंगे, गांव से लोग चुनकर आएंगे, गरीब का बेटा चुनकर आएगा, दलित का बेटा चुनकर आएगा, मजदूर का बेटा चुनकर आएगा।

माननीय सीग्रीवाल जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आने वाले समय में निश्चित रूप से अनिवार्य मतदान लागू करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाकर इस पर समीक्षा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.00 hrs

कृÂि◌ मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय सदस्य पप्पू यादव जी ने जो चिंता व्यक्त की है और इन्होंने सदन को बताया कि उक्त घटना में दो महिलाओं की मौत भी हुई है। इसे लेकर सदन दुखी है। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाई जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी।

17.01 hrs

(Dr. P. Venugopal *in the Chair*)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : महोदय, आज सिंग्वीवाल जी द्वारा सदन में अनिवार्य मतदान बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आजादी के पहले लोगों ने भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी। आजादी के 68 साल बाद भारत के पुनर्निर्माण के लिए लोगों ने अपनी शक्ति का संचार किया। हिन्दुस्तान की आजादी के 68 सालों बाद की समस्याओं का समाधान अनिवार्य मतदान है। अगर इस देश को समृद्ध करना है, इस देश को पूरे विश्व का शहंशाह बनाना है इसके लिए अनिवार्य मतदान जरूरी है। हमलोगों ने इस देश में कई चुनाव देखें हैं। लेकिन आज इस लोकतंत्र में कोई चारा खा जाता है, कोई टेलीफोन का तार खा जाता है, कोई यूरिया खा जाता है, कोई देश की गरीब जनता की योजनाओं का पैसा खा जाता है। देश में जमीन से आसमान और पाताल तक की चीजों को नहीं छोड़ता है, तब लगता है कि देश में राजनीति में शुचिता होना जरूरी है, अगर शुचिता नहीं होगी, अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में देश को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक इस देश को विश्व का शक्तिशाली मुल्क नहीं बनाया जा सकता। आज जरूरत इस बात की है कि देश में भ्रÂटाचार पर लगाम लगे, इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो। आज कई राजनीतिक दलों में सुप्रीमो जैसी बात है, इस राजनीतक दल का सुप्रीमो ये हैं। मैं अपने आप को गौरान्वित महसूस करता हूं कि मैं जिस राजनीतिक दल से आता हूं उसमें आंतरिक लोकतंत्र है, बुथ स्तर पर काम करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता राÂट्रीय अध्यक्ष बनता है, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला इस पार्टी का इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। जब तक सभी दलों में राजनीतक लोकतंत्र नहीं आएगा, आज चुनाव आयोग के पास 1200-1300 राजनीतक दल रजिस्टर्ड होंगे लेकिन दो या तीन राजनीतक दलों को छोड़कर कोई भी आइडियल विचारधारा पर नहीं चलती है बल्कि परिवार के आधार पर चलती है सुप्रीमो के आधार पर चलते हैं।

अभी चुनाव पैसे लेकर टिकट दिए जाने की बात हो रही थी। ऐसे लोग टिकट लेने के बाद उस पैसे को निकालने के लिए देश में भ्रÂटाचार करते हैं। आज चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, 60-70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान नहीं होता है। आज जितने प्रत्याशी को मत मिलता है उससे ज्यादा मत वोट की पेटी में नहीं पड़ते हैं। चुनाव में लोगों को प्रभावित किया जाता है, मैनेज किया जाता है। कई बार एक क्षेत्र के लोगों के वोट पड़ जाते हैं दूसरे क्षेत्र के लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं। इस देश में अनिवार्य मतदान की बहुत आवश्यकता है। आज अमीरी और गरीबी, अगड़े और पिछड़े का भेदभाव मिटाने का तरीका अनिवार्य मतदान ही है। आज अनिवार्य मतदान को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है जब तक यह सख्ती से लागू नहीं होगा तक अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश नहीं होगा। आज जेल रहकर भी लोग चुनाव लड़ा जाता है आज इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जेल की जंजीरों में, बेड़ियों में बंद होने के बावजूद भी वह चुनाव जीत जाता है तब इस देश के सामने एक प्रश्न चिह्न खड़ा हो जाता है कि क्या यह लोकतंत्र है? जब लोकतंत्र की बात आती है, तब अब्राहिम लिंकन का भी नाम आता है कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जब उस शासन में जनता तत्व ही पूर्ण नहीं आयेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब शतप्रतिशत मतदान होगा, अधिकांश मतदान होगा, तभी यह होगा। आज भी हम कई जगह देखते हैं कि कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है, फिर भी वे चुनाव जीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि क्या 20-22 प्रतिशत लोग ही जन-प्रतिनिधि बनायेंगे? क्या ऐसे लोग ही इस देश की नीति का निर्माण करेंगे? उस समय अनिवार्य मतदान की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मैं दो वÂाऩ पुरानी घटना बताना चाहता हूं कि कोई मंत्री बहुत बड़े जुर्म के बाद जेल से छूटकर आता है और बाहर आने के बाद मीडिया के सामने डांस करता है और विक्टरी का निशान दिखाता है। उस समय लगता है कि इस देश में भ्रÂटाचार का खात्मा नहीं होगा। जब तक लोग धर्म, जातिवाद और मजहब के आधार पर राजनीति करते रहेंगे, तब तक उन सबका अंत नहीं होगा। अगर इसका कोई अंत है, तो वह अनिवार्य मतदान है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग देखते हैं, मेरे पूर्ववक्ता ने एक बात कही कि गुजरात में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान किया गया, तो आज लगता है कि वहां अच्छे लोग राजनीति में आये हैं। चाहे पंचायत राज हो या स्थानीय निकाय हो, जब राजनीति में सूचिता आती है, ईमानदार लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो राजनीति में भी अच्छा काम होता है। अच्छे लोगों द्वारा इस देश में अच्छी नीति का निर्माण होता है।

अभी मेरे साथी कह रहे थे कि इस देश में जन-धन योजना आयी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भ्रÂटाचार मिटाने के लिए अगर सबसे अच्छी कोई योजना है, तो वह यह है। आज मजदूर जब मनरेगा में मजदूरी का काम करता है और अपनी मजदूरी के लिए तहसील में पटवारी और तहसीलदार के पास जाता है, तो वहां भी उसे व्यवस्था के नाते कुछ करना पड़ता है। आज प्रधान मंत्री जी ने इस देश में भ्रÂटाचार को समाप्त करने के लिए जन-धन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत उनकी मजदूरी दिल्ली से सीधे उसके खाते में जायेगी। अब कोई वृद्ध अपनी पैंशन लेने के लिए डाकिया का इंतजार करता रहता है, लेकिन डाकिया चार-पांच महीने की पैंशन इकट्ठी करने के बाद देता है और उससे कहता है कि मेरा भी कुछ बनता है। आज उस वृद्ध की पैंशन जब सीधी उसके खाते में जायेगी तो इस देश में भ्रÂटाचार का खात्मा होगा। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश में भ्रÂटाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। आज कई लोग बात करते हैं कि गरीब लोगों का राजनीति में आना मुश्किल होता है, आम आदमी का राजनीति में आना मुश्किल होता है। अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर आदि कई लोग अपने दिमाग में अच्छे समाज की सोच रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बेड़े में ऐसे कई लोग हैं, जो इस देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई ऐसे लोग हैं, जो एक साधारण परिवार से आये हैं और आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आकर बैठे हैं।

सभापति महोदय, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन मेरी ट्रेन का समय हो गया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सीग्वीवाल जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान को सख्ती से इस देश में लागू किया जाये। इस देश में यदि भ्रÂटाचार को समाप्त करना है, भाई-भतीजेवाद को समाप्त करना है, बाहुबलीवाद को समाप्त करना है, मजहब के आधार पर होने वाली राजनीति को समाप्त करना है तो आवश्यक मतदान का कानून सख्ती से बनाया जाये और उसकी पालना करायी जाये।

अंत में, मैं यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Our country was founded on great ideals. We had great leaders - Ambedkarji, Nehruji, Rajaji and Shastri – who cherished democracy where Parliament and policies represent the people accurately.

The greatest advantage of compulsory voting is that the policies of the Government and representation of the people will be more accurate to the will and wishes of the people. If a section of the population votes in huge numbers and if another section votes very sparsely, then the representation is skewed and the policies are skewed.

In a diverse country like India, some groups have voting percentage of 90 per cent and some groups have voting percentage of less than 40 per cent. So, definitely, representation in the Parliament will be skewed and the policies of our Governments will be skewed, and that was not the intent of the founding fathers of this great democracy. It is not in the interest of the nation that anything be skewed let alone the policies. It is bad enough in countries with homogeneous population, but in a diverse country like India it is even more dangerous that the representation is very skewed.

Hon. Chairperson, I ask this question. Should not a simple, but a very important duty of any responsible citizen towards democracy be made mandatory? I think that it should be made mandatory. However, in 1951, when the People's Representation Bill was being discussed in the Parliament, it was rejected by hon. Dr. Baba Saheb Ambedkar. The reasons as to why he rejected is even more important. The reasons he rejected it was that it was impractical in those days where voting was not accessible to many people. But the very reasons that it was rejected no longer exist. Now, voting is accessible in every nook and corner of India. Again, I think that the Dinesh Goswami Committee in 1990 also came up with the same conclusion that it is impractical, but I think that we have long overcome those practical difficulties. It is now time to rethink on this issue.

There are many people, and hon. Member, Shri Pappu Yadav, also mentioned various reasons for not imposing compulsory voting like poverty, lack of awareness, lack of education and various other reasons. But it is those very reasons that this compulsory voting will eradicate through better

representation of people. The other people who are against compulsory voting say that it restricts freedom. How does it restrict freedom? I think that now in most places we are not forced to choose only the 5, 6, 7 or 10 candidates, and we also have the NOTA –None Of The Above.

One more important thing is that now the youth have begun to vote. Many youth do not belong to any political parties and they do not have any political affiliation. Their only interest is their future and what the country can give them – a job, a career. Political parties are very organised before elections right from distributing voting slips and so on and so forth. This is not really the interest of the youth. So, Members not belonging to political parties or Members belonging to unorganised political parties definitely have a disadvantage if the voting is not made compulsory.

Voting is made compulsory in many countries. As you know, 26 countries including Brazil, Singapore, Australia, etc. have all made voting compulsory. The question is how to make it compulsory without actually penalising people wrongly. These are small issues and we can overcome those.

The voter turnout in even the hilly regions in North-East this time was between 70 per cent and 80 per cent. So, accessibility is no longer an issue. The voting percentage in some of the developed cities like Mumbai, Bengaluru, etc. turned out to be low. So, access is no longer an issue. In fact, the data seems to suggest the opposite. If awareness and education on voting rights were the reasons, then the statistics exactly point the opposite. Clearly, voting is not regarded as the foremost duty of many citizens. A Compulsory Voting Bill skews the flaws in democracy. We should make sure -- over a period of time without making it impractical -- that we try to go towards compulsory voting.

Lastly, I myself am of the opinion that compulsory voting is absolutely necessary, but when and how is the only question. A committee needs to be formed on how to implement such a compulsory voting system in our country which will really bring about the democracy that our leaders cherish for.

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : सभापति जी, आपने मुझे अनिवार्य मतदान चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रजातंत्र में मतदान अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम है। कम मतदान होने की वजह से जीतने वाले प्रत्याशी बहुत ही कम परसेंट वोट से जीतते हैं। प्रजातंत्र में जो सरकार बने वह लोगों के बहुमत की सरकार बननी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि अनिवार्य मतदान के लिए लोगों में जागरुकता पैदा की जाए और शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है और देश के आर्थिक हालात का ठीक करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 15 करोड़ के करीब बैंक खाते खुले हैं, उससे लोगों में जागृति आएगी। इसके लिए हमें अनिवार्य मतदान का कानून बनाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए कि जिस तरह से हम पेंशन की सुविधा जनता को देते हैं उसी तरह हमें आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए तथा यह करना चाहिए कि उन्हीं लोगों को सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो मतदान का प्रयोग करेंगे।

चाहे दूसरी सरकारी नीतियों की ही बात क्यों न हो, उनमें भी यही पालिसी लागू करनी चाहिए। चाहे रोजगार के मामले हों, सब बातों से हम इसे जोड़े तो देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है और देश में प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। जिस तरह से संसार के बहुत-से देशों में, लगभग 26 देशों में मतदान अनिवार्य है, वैसे ही हमारे यहां भी मतदान अनिवार्य हो तो यह राजनीति का सिस्टम भी बदल सकता है। आप देख सकते हैं कि पिछले 10-12 दिनों से जो हालात लोक सभा में देखने को मिले, इनसे भी लोगों में बुरा असर पड़ता है कि क्या जनता इसलिए हमें चुनकर भेजती है कि यहां इस तरह से शोर-शराबा मचाएंगे जो कि गांव की पंचायत में भी नहीं होता है। हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर लोगों को भावना से जोड़ना है, तो हमें अपने आपमें भी सुधार करना होगा, अपने सिस्टम में भी सुधार करना होगा तथा साथ-ही-साथ लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार करने के बारे में सोचना होगा। जब हम मतदान को आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो कोई भी आदमी देश के किसी भी हिस्से में क्यों न गया हो, वह अपनी वोट का प्रयोग आसानी से कर सके, इस तरह का प्रावधान करने की जरूरत है और चुनाव आयोग से सरकार इस बारे में बात करे ताकि अनिवार्य वोटिंग हो। इससे लोगों में प्रजातंत्र के प्रति आस्था बनी रहेगी।

यह बात भी सत्य है कि अगर वोटिंग अनिवार्य की जाएगी तो लोगों के जीतने का प्रतिशत भी अच्छा होगा और जनता जिसे चुनना चाहती है, उसके हिसाब से जिसके वोटों की संख्या ज्यादा होगी, उतना ही वोट का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। प्रजातंत्र में चुने हुए लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे देखें कि अनिवार्य मतदान कैसे कराया जा सकता है। जिस तरह से हम टीवी चैनल्स में लोक सभा टीवी देखते हैं, उससे भी लोगों में राजनीति के प्रति और नेताओं के प्रति विश्वास की कमी आ रही है। लोग सोचते हैं कि वे क्यों एक-दो घंटे लाइन में खड़े रह कर वोट करते हैं और ऐसे आदमियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। अगर हम शिक्षा में सुधार करें, बेरोजगारी दूर करें और लोगों की आर्थिक दशा सुधरे तो इससे देश में सामाजिक क्रांति भी आएगी।

देश में कई दल जो फ्री की स्कीम्स देते हैं, इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। इससे भी समाज का नुकसान होता है। हमारे यहां कहावत है कि अगर किसी प्रदेश का, घर का या देश का नुकसान करना हो तो फ्री की बातें बता दो और चुनाव के दौरान झूठी-सच्ची बातें कह कर मतदाता को गुमराह करके वोट ले लो, इससे समाज का भी नुकसान होता है और प्रदेशों का भी नुकसान होता है। जिस तरह से गुजरात में निचले स्तर पर पंचायत स्तर पर जिला कारपोरेशन के चुनाव में किया गया है, वैसा ही सारे देश के लिए इस नियम को बनाना चाहिए।

मैं अनिवार्य मतदान का समर्थन करता हूं।

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me the permission to speak on this Compulsory Voting Bill, 2014. The contention of the hon. Member who has brought this Bill, is that a voter who is eligible to vote in the election should exercise his right when called by the Election Commission. He wants all the people to vote in the elections. The reason as to why he has brought this Bill is that in the elections there is lower turn-out. The other reason is that it encourages the citizen to exercise his right in order to elect their representative, so, the result of the elections would show the will of the electorates and not just a segment of them.

I would like to remind the Mover and all the Members that in India we have seen for the past few elections, there is increase in the number of electorates who turn to the polling booth every year. This compulsory voting has a history. In Athenian Society it is the duty of every citizen to participate in decision-making but attending the Assembly was voluntary. They made every people to come and participate in the decision-making process. That was the main reason in the olden days.

This compulsory voting method has been in place in about 22 countries all over the world. In some countries, the law is there, but it is not enforced. In some other countries, the law is there and they are compulsorily enforcing that law. In India, so far, there is no compulsory voting in any place. But recently in Gujarat, in the local body elections, the Assembly has made voting compulsory. It was mentioned that if anybody does not vote, he would be penalized. In countries like Australia, Argentina and Brazil, compulsory voting is there and the law is enforced. If an electorate does not

turn to the polling booth, he is punished.

In this Bill, the Member has mentioned as to how this exercise should be done; how the people should be encouraged to vote; if they do not vote, how they should be punished and so on. All these things are mentioned in this Bill. All over the world, the reason for compulsory voting is that it looks upon the voters' participation as a civic duty similar to taxation or compulsory education or military service and so on. In some countries, military service is compulsory. In some countries universal participation of electorates will help in electing a Government which is more stable, legitimate, genuine in nature and reflects the will of the people. This prevents disenchantment of socially disadvantaged groups. But the problem if you follow this method is that you have to conduct elections on holidays. In countries where this method is followed, election is conducted only on Saturdays and Sundays. People there vote through postal ballot, pre-poll voting is allowed, e-mail voting is allowed, and even mobile voting is allowed. All these facilities are not available in our country.

If people who are not likely to support any candidate participate in compulsory voting, there is likelihood of split votes or blank votes. This ensures that there is no possibility of a person being intimidated and prevented from voting. In India we have the NOTA option which can be exercised if an elector is not willing to vote in favour of any candidate. If you introduce compulsory voting, it will prevent extremists or special interest groups to influence the voters to compulsorily vote for a specific candidate. But in non-compulsory voting method, it is the motivation by the politicians that encourages voters to go to polling booths. The outcome of election where voting is compulsory reflects more the will of the people rather than who is more able to convince the people to take time out of their day to cast vote.

Compulsory voting motivates people to take part in the election process and politics. The advantage of compulsory voting is that there is need for less funds for campaigning. Because it is compulsory, people have to vote. But there is also a disadvantage. In Australia where there is a preferential method and compulsory voting, they select the candidates and they contest the election. Depending on the preferential vote the candidates get, they get electoral funding from the government. So, some of them are intentionally going through this process to collect money from the government.

The only advantage seems to be that studies show that compulsory voting improves the income distribution among the voters. I do not know what the reason is for that. The people who argue against compulsory voting say that it impinges upon the rights of the voters. It is a civic right rather than a civic duty, like right to free speech and right to attorney. Other reason is that it impinges on article 2 of the Universal Declaration of Human Rights which talks about freedom of political opinion and thus right of the citizen to believe in a political system other than the democratic one such as an absolute monarchy. Why America did not like this system is, for example compulsory voting violates freedom of speech because freedom of speech necessarily includes the freedom not to speak.

Other reason for compulsory voting is, if the voters have no interest in participating in the election, what they do is they randomly caste what is called donkey vote which constitutes one to two per cent of the voting. They show no interest in the election and just randomly vote in the election.

One more reason is that they have no interest in the candidates. They do not know anything about the candidates for whom they are voting. What some of the voters do is to go to the polling booth, choose the first candidate who is there on the ballot and vote for him.

Another reason is, some of the religious people do not want to vote. That is their religious freedom. If you enforce this, it affects their religious freedom.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the time for discussion on this Bill is complete. If the House agrees, we may further extend the time for discussion on this Bill by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, we agree that the time may be extended.

HON. CHAIRPERSON: Time is extended by one hour for discussion on this Bill.

DR. K. KAMARAJ : Sir, the other reason as to why I oppose this compulsory voting is that there is preferential voting favouring one political party. Even though the voter may not wish to take advantage from the political parties contesting in the election, yet he has to vote.

Another reason is informal voting. People just come and vote. The next reason is invalid votes. Sir, I would like to bring to your knowledge that in the elections which you have seen in India, there is postal ballot also. But people are casting invalid votes in a country where many of them are educated.

In the past one year, I have witnessed three elections in Tamil Nadu. In the last election in Chennai where our honourable leader *Puratchi Thalaivi Amma* contested, I was looking after a polling booth. At that booth, there were 1382 votes. Among them, there were 60 votes which had double entries, triple entries or four entries.

There are lots of problem in the election process itself. The voter's photo is changed. There is a male photo with a female name on the voter card. The name of the voter, who voted in the last election, may not be there in next election. Some people who come to the polling booth are not able to vote. These problems occur because our electoral system is still not well developed.

I would also like to say that in the parliamentary system, we have a Parliament. Even in the Parliament, we are not able to enforce compulsory voting; we are not able to educate and encourage all the Members to be present and vote in Division. Then how do we expect 1.2 billion people to come and vote in every election? So, I think our electoral system is continuously evolving. It is not right time to enforce compulsory voting. We can encourage the people to come and

vote. We can create awareness among them. We have to completely change and improve our electoral system. Then only we can try for compulsory voting. What I can say is, you can encourage the voters who are willing to vote and give them some concession. But do not punish the voters who are not willing to vote. That is why I oppose the Bill. Thank you.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, श्री जनार्द्धन सीग्रीवाल की ओर से अनिवार्य मतदान का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उस पर पूर्ववक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का क्या महत्व है, इस बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी और इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं ने जो बलिदान और कुर्बानियां दी हैं, उसका महत्व जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज जिस बात को माननीय सीग्रीवाल जी ने प्रस्तुत किया है, यह केवल भारत के लिए नहीं है। हम विश्व के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो दुनिया में 20-22 देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपने यहां अनिवार्य मतदान का कानून बनाया हुआ है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए मैं दो-चार बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। अनिवार्य मतदान से जो लाभ होगा, उसमे पहली आवश्यकता है लोकतंत्र की सुरक्षा। हमारे देश में पिछले बीस वÂ◌ा◌ॅं में दो-तीन ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, पंजाब का चुनाव हुआ, जिसमें 16-17 प्रतिशत मतदान हुआ और उसमें तीन पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जो पार्टी सत्ता में आयी उसके पास केवल नौ प्रतिशत मत था। एक तरफ सौ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ नौ व्यक्ति हैं। नौ व्यक्तियों द्वारा चुनी हुई सरकार सौ व्यक्तियों के लिए काम करती है। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में आपने देखा कि केवल 14-15 प्रतिशत मतदान पाकर वहां की सरकार बनी, सत्ता में रही, उसने काम किए और कानून बनाए। इसलिए यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे मैं दो कारण मानता हूं। पहला है कि जब तक शासन ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा कि मतदाता भय मुक्त होकर मतदान करे। दूसरा है कि उसमें उसके लिए रुचि पैदा हो। भय मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा प्रबंध किया जाए, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा और मैं अनेक क्षेत्रों को जानता हूं। गांव में विशेÂ◌ा तौर से बहुत सारे लोग डर के कारण मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं। पिछले चुनावों में भी मैंने देखा है। मैं पूर्व में भी चुनावों में हिस्सा लेता रहा हूं। मैं कई चुनाव बूथ पर गया, जहां इस प्रकार के बाहुबली लोग, जिनके भय के कारण लोग मतदान करने के लिए नहीं आते हैं। जब तक समाज को भयमुक्त नहीं किया जाएगा, जातिगत आधार पर गरीब और पिछड़े लोगों को शोÂ◌ि◌ात किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसलिए भयमुक्त समाज हो। दूसरा, इसके लिए आवश्यक है कि लोगों में रुचि पैदा की जाए। रुचि कब पैदा होगी? रुचि तब पैदा होगी जब हमारी पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देकर आगे लाएंगी। तीसरा, यह है कि हमारे घोÂ◌ाणापत्र होते हैं, जिनमें हम घोÂ◌ाणाएं कर देते हैं, लेकिन उन घोÂ◌ाणाओं की पूर्ति नहीं होती है। उसका परिणाम यह होता है कि मतदाताओं में उदासीनता आती है।

हमारे देश के जो क्रांतिकारी और शहीद थे, मैंने उनको पढ़ा है। रामप्रसाद बिस्मिल जी जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। उनको वÂ◌ा्र 1927 में फांसी की सजा हुई थी। वह जब जेल में बंद थे तो अपने अंतिम समय में उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। अपनी आत्मकथा में वह एक बात लिख कर जाते हैं कि जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक वह स्वतंत्रता की परिभाÂ◌ा◌ा को नहीं समझ पाएगा। आज स्वतंत्रता के नाम पर और मैं थोड़ा विÂ◌ाय से हटकर कहना चाहता हूं कि उसका परिणाम यह रहा कि लगातार पचास साल तक एक पार्टी ने शासन किया और उस पार्टी ने शासन करने से पहले भी लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझा। मैंने कांग्रेस के इतिहास को पढ़ा है जो तीन वॉल्यूम में लिखा है। पट्टाभिसीतारमैय्या जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने उस इतिहास को लिखा है। सुभाÂ◌ा चन्द्र बोस जी के बारे में, हम कल एक सेमिनार में बैठे थे, जहां उनकी उपलब्धियों और जीवन के बारे में हम सुन रहे थे। सुभाÂ◌ा चन्द्र बोस जी और पट्टाभिसीतारमैय्या ने चुनाव लड़ा। चुनाव में पट्टाभिसीतारमैय्या हार गए। उसके पीछे यह निकला कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिनको हम बहुत श्रृद्धा से याद करते हैं, उन्होंने कहा कि यह हार पट्टाभिसीतारमैय्या की नहीं है, यह हार मेरी है और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स ने सुभाÂ◌ा जी को त्यागपत्र देने पर बाधित कर दिया। इसलिए इन लोगों ने कभी भी आजादी से पहले और आजादी के बाद भी और उसी का परिणाम था कि स्वामी श्रृद्धानंद त्यागपत्र देकर गए, लाला लाजपत राय कांग्रेस को छोड़कर गए, मालवीय जी कांग्रेस को छोड़कर गए। इसी तरह कितने सारे लोग थे जो कांग्रेस को छोड़-छोड़ कर चले गए। इन लोगों की महत्ता को कभी नहीं समझा और उसी का परिणाम था कि पचास सालों में इनमें इतना अहंकार पैदा हो गया कि जिसके परिणामस्वरूप इमरजेन्सी आई और इमरजेन्सी के बाद जब लोगों ने यह अनुभव किया कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा, तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवा पीढ़ी के अंदर यह मैसेज गया, हमारे जैसे लोग उस समय विद्यार्थी थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और एक आंदोलन खड़ा हुआ, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी गई, तब दूसरी पार्टियां सामने आई और उसका परिणाम आज यह है कि आज विपक्ष और पक्ष दोनों बैठकर यहां विभिन्न मुद्दों के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए जब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा, देश सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए मैं एक-दो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि भयमुक्त शासन दिया जाए। दूसरा जैसे राजस्थान प्रांत है, वहां ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमारे यहां गांवों के अंदर बूथ होता है। दस-दस किलोमीटर के ऊपर ढाणियां होती हैं, छोटे-छोटे आबादी के क्षेत्र होते हैं। वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वोटर्स गाडियां लेकर आते हैं तो लोग डरते हैं कि दूसरा वोटर यह कहेगा कि इसकी गाड़ी में बैठकर गये हैं। दूसरा इससे भ्रÂ◌टाचार बढ़ता है। एक-एक प्रत्याशी को गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है और उसके ऊपर निर्वाचन आयोग की तलवार भी लटकी रहती है। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाया जाए, ताकि वह मतदान कर सके। इसके साथ-साथ जब तक मतदाताओं को हमारे विद्यालयों में इसका महत्व नहीं समझाया जायेगा, कालेजों में नहीं समझाया जायेगा, तब तक हमारे युवा इस बात को नहीं समझ पायेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार को जैसे पहले भी विचार आया है, इस पर बैठकर चिंतन और मनन करना चाहिए। मतदान में जैसे आजकल नोटा का भी प्रयोग होने लगा है, कई बार लोग कहते हैं कि जो प्रत्याशी पसंद नहीं है और अनिवार्य मतदान यदि लागू कर देंगे तो लोग कहां मतदान करेंगे, क्योंकि उनकी पसंद का प्रत्याशी चुनाव में नहीं है। उसका परिणाम यह निकलेगा कि यदि कोई पार्टी किसी गलत व्यक्ति को टिकट देती है और पब्लिक उसे पसंद नहीं करती है तो वह रिजैक्ट हो जायेगा और दोबारा इलैक्शन होगा तो फिर पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के प्रत्याशी देने चाहिए। इसलिए यह देश, राÂट्र, समाज, लोकतंत्र, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक पवित्रता के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार से अनिवार्य मतदान का कानून लागू होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा जो अनिवार्य मतदान विधेयक लाया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देश में मतदान जब तक 100 प्रतिशत नहीं होगा, तब तक सही मायने में हमारा अच्छी सरकार की कल्पना करना गलत होगा। हमने अधिकांश यह देखा है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं, वे लोग ही सरकार और नेताओं के बारे में आलोचना करते हैं। जो लोग मतदान करते हैं, उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वे कभी सरकार और जनप्रतिनिधियों के बारे में आलोचना नहीं करते हैं। हमारे फर्रूखाबाद संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा बूथ है, जहां अधिकारी, कर्मचारी ही (ऑफिसर कालोनी) रहते हैं और वहां जब भी वोट पड़ता है तो जनपद में सबसे कम आठ परसैन्ट या पन्द्रह परसैन्ट से अधिक कभी वहां वोट नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि जब तक वोटिंग को हन्ड्रेड, शत-प्रतिशत नहीं किया जायेगा, कम्पलसरी नहीं किया जायेगा, ऐसा कुछ न कुछ नियम हो कि जो भी व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेगा, उसे कहीं न कहीं पाबंद किया जाए, जिससे उसमें एक भय रहे कि मुझे हर हाल में मतदान करना है।

महोदय, मैंने कहीं-कहीं ऐसा भी देखा कि कहीं दो परसैन्ट या पांच परसैन्ट वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद बूथ पर झगड़ा हो जाता है या कई गांव सभाओं के पोलिंग बूथों पर झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद मैंने देखा कि दो-तीन परसैन्ट के बूथ से भी वे चुनाव जीतकर आते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी जो निÂपक्ष रूप से वोट डालना चाहता है तो वह वोट नहीं डाल पाता है, तभी ऐसी स्थिति बनती है।

महोदय, मैंने बहुत से गांवों में देखा है कि जो पीठासीन अधिकारी जाते हैं, जहां से 60-65औ मतदान होता है, तब अधिकारी ही पहले से कहने लगते हैं कि अब मतदान कम कीजिए, ज्यादा मतदान हो जाएगा तो आपका बूथ निरस्त हो जाएगा। महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि अधिकारी को भी यह बात समझनी चाहिए, गांव के लोग भोले भले होते हैं। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, पहले कई बूथ हमारे यहां ऐसे होते थे जो 80-95औ से ऊपर जाते थे, वे बूथ निरस्त हो जाते थे। अब चुनाव आयोग से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बार ऐसी व्यवस्था करे, अपने अधिकारियों को बताएं कि जिस बूथ पर भी शत प्रतिशत वोट पड़े या सर्वाधिक जहां पर वोट पड़ेंगे वहां के पीठासीन अधिकारियों व मतदाता को सम्मानित किया जाए। ऐसा कुछ न कुछ ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि जैसे हमारे यहां अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत चुनाव हो या अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव हो, वहां पर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा मतदान होता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, महोदय, अधिकांश हमने देखा है वहां के क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों या जिला पंचायत के सदस्य हों, वे या तो पैसों का लालच देकर खरीद लिए जाते हैं, या कहीं सत्ता व बाहुबल पर उनको उठा लिया जाता है और उनसे बाद में बलपूर्वक मतदान करा लिया जाता है। ऐसे में जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, वे निÂपक्ष नहीं होते हैं, लोग जिन्हें चुनना चाहते हैं, वे नहीं चुन पाते हैं, ऐसा हो कि पंचायत चुनावों में भी आम आदमी से वोट डलवाकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हों। जिससे वहां के लोग सही मायने में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भी जैसे हमारे यहां नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं में व्यवस्था हुई है। पहले यह होता था कि सभासद के द्वारा और पाÂ◌ा्रद के द्वारा चुनाव होता था और अब है कि नगर पालिकाएं हों या महानगर पालिकाएं हों, आम आदमी उसमें वोट डालता है, तभी वह नगरपालिका अध्यक्ष या महापौर चुनता है, इसी तरह मैं चाहता हूँ इसमें भी सरकार ऐसा नियम बनाए कि जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हो, वह भी आम आदमी के द्वारा चुने जाएं। हम सबको शत प्रतिशत मतदान करना चाहिए क्योंकि इससे पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इसलिए हम सबको एक-

एक वोट की अपनी कीमत समझनी चाहिए। हम सब नियम बना दें, नियम बनने से ही कुछ नहीं होने वाला है। देश में सब व्यक्तियों को, जितने भी नौजवान हैं, चाहे सम्मानित बुद्धिजीवी हैं, सबको चाहिए कि सब लोग शतप्रतिशत मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): सभापति महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य जनार्दन सिंग्रीवाल के द्वारा आज जो प्राईवेट मेंबर बिल के रूप में अनिवार्य मतदान के संबंध में विधेयक लाया गया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। महोदय, हम सभी जानते हैं कि आज लोकतंत्र मतदान के ऊपर ही सरकार बना कर जनता के लिए और जनता के हित में काम करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसके पूर्व जब राजतंत्र व्यवस्था थी, तो उस समय यह देखा नहीं जाता था कि राजा का बेटा, वारिस योग्य है या नहीं है, फिर भी उसको राजा बना दिया जाता था। परंतु आज इस परिस्थिति में बदलाव में हुआ है और आज वोट के माध्यम से मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। जो सरकार में अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। आज यदि हम अनिवार्य मतदान की बात करें तो यह देखने में आता है कि जहां पर ज्यादा शिक्षित वर्ग है या जो इस विÂाय को अच्छी तरीके से समझ सकते हें ऐसे लोग ही मतदान से भाग रहे हैं या उदासीन रवैया अपना रहे हैं। इस संबंध में भी हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक बौद्धिक वर्ग इस लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए, अपना मतदान नहीं करेंगे तो अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बन कर नहीं आएंगे। जब तक अच्छे व्यक्ति इस देश का संचालन करने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हम कल्पना करते हैं कि भारत पूरे विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करे, इसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि अनिवार्य मतदान निश्चित रूप से हो। यद्यपि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ लोगों को इससे छूट भी दी जा सकती है, क्योंकि ऐसे शासकीय दायित्व या जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हों, ऐसी परिस्थिति में उनको आज के आधुनिक युग में अपने स्थान से ही जो आधुनिक पद्धति है, उसके माध्यम से सीधे मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह अपने मतदान के अधिकार और कर्तव्य का पालन कर सके। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात पर भी विचार करें और निर्वाचन आयोग इस पर आवश्यक कदम उठाए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। मैं आज इस अवसर पर, हमारे माननीय सदस्य के द्वारा जो बिल लाया गया है, उसका समर्थन करता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हम अंकगणित के हिसाब से सरकार बनाते हैं और उसमें जो मतदान का प्रतिशत है, यद्यपि वह कम भी हो सकता है, उसके बाद भी जिनका अंकगणित ज्यादा होता है, जिनके ज्यादा सदस्य जीतकर आते हैं, वे सरकार बना लेते हैं। आने वाले समय में जो परिस्थिति है, उनको देखते हुए मेरा यह आग्रह होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव और राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव आम जनता सीधे करे। निर्वाचन आयोग पूर्त्याशी तय करने के लिए ऐसी कोई कमेटी आदि बनाए और उस पर विचार-विमर्श करके आवश्यक सुझाव लेकर निर्णय ले ताकि एक योग्य व्यक्ति, वह जिस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है या देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको जनता सीधे चुन सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): महोदय, आपने मुझे प्राइवेट मेंबर बिल जिसे माननीय सदस्य लाए हैं, उसके विÂाय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें मतदान जो होना है या जो होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं, जो अपने घरों में रह जाते हैं और वे वोट डालने मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े दुःख का विÂाय है कि यह जो लोकतंत्र है, जिसके द्वारा देश का संचालन होता है और निश्चित रूप से यह जो अनिवार्य मतदान का बिल है, यह पास होगा, अनिवार्य मतदान किया जाएगा तो इस देश में निश्चित रूप से बहुत कुछ राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा। जिस प्रकार से आज लोकतंत्र में हमें जो महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व निभाने के लिए मिला है, देश के हित में, लोगों के हित में, प्रजातंत्र के हित में काम करने का जो हमें दायित्व मिला है, निश्चित रूप से जब मतदान अनिवार्य होगा, अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो वे इस बात को समझेंगे कि आज जिन लोगों ने हमें यह दायित्व दिया है, उसे पूरी तरह से निÂठा के साथ निभाया जाए। यह न हो कि जो सही नहीं है, उस विÂाय को भी लेकर लोक सभा में शोर मचाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूँ कि यदि वोट डालना अनिवार्य हो जाएगा तो सरकार की जो महती योजनाएं हैं, जिनको लोगों तक पहुँचाना है, जिस प्रकार सरकार से आज परिचय पत्र के माध्यम से गरीबी रेखा वालों को चिन्हांकित किया जाता है, उन योजनाओं का लाभ मिलता है, नौकरियों में प्राथमिकतायें मिलती हैं, ये सारी योजनाएं हैं। इसी प्रकार से प्राथमिकता से अनिवार्य मतदान को किया जाए। जो वोटर आई.डी. बनते हैं, वे वोट डालने के लिए बनते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग शहरों में रहकर, गाँवों में रहकर उस दिन का जो महत्वपूर्ण मतदान का अधिकार है, उस अधिकार को नहीं निभाते, घर में रह जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनका परिवार बहुत गरीब होता है और वे मतदान वाले दिन, अपने घर पर, अपने मतदान केन्द्र पर, अपने गाँव में नहीं रह पाते हैं। गरीबी के कारण वे कमाने खाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और उस समय आ नहीं पाते। इसलिए निश्चित रूप से एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि मतदान के समय पर वह अनिवार्य रूप से अपने मतदान केन्द्र पर रहें और अनिवार्य मतदान हो तो निश्चित रूप से इस देश का हित होगा। आज आधार कार्ड के रूप में एक पहचान बनी है और सभी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। इसी प्रकार से इस मतदान को भी आधार कार्ड की बराबरी में लेते हुए अनिवार्य मतदान निश्चित रूप से किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जब पंचायत का चुनाव होता है तो उस समय वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। चूँकि गाँव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है और लोग एक एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं और वोट डलवाने के लिए जैसे भी हो, उसको आग्रह करके मतदान केन्द्र तक ले जाकर उससे वोट डलवाते हैं। लेकिन जब विधान सभा और लोक सभा का चुनाव आता है तो सबसे कम प्रतिशत लोक सभा चुनाव के समय होता है। विधान सभा के चुनाव के समय जहाँ-तहाँ कुछ प्रतिशत निश्चित रूप से रहता है लेकिन लोक सभा के समय कम हो जाता है। मैं पिछले चार-पाँच चुनावों को देख रही हूँ, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह था। इस बार का जो चुनाव हुआ, पूरे देश में उस प्रतिशत को देख लीजिए, पिछली बार से इस बार के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जब अनिवार्य मतदान हो जाएगा तो यह प्रतिशत और बढ़ेगा और इस प्रजातंत्र में एक जागरूकता आएगी। सरकार को दो-तीन और महत्वपूर्ण कानून लाने की आवश्यकता है कि हम मतदान को जिस प्रकार अनिवार्य कर रहे हैं, तो जैसे समय की पाबंदी होती है, बड़े बड़े गाँव होते हैं, मतदान केन्द्रों की संख्या कहीं कहीं कम होती है और लोग बहुत लंबी लाइनें लगाए रहते हैं, उन लंबी लाइनों के कारण लोग सोचते हैं कि आज धूप है या लंबी लाइन में दो-चार घंटे खड़ा होना पड़ेगा तो हम क्यों मतदान करने जाएं। इसलिए यदि हम मतदान अनिवार्य करें तो निश्चित रूप उसी अनुपात में मतदान केन्द्रों की संख्या और उनका समय बढ़ाना भी अनिवार्य होगा।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कर्मचारी, अधिकारी मतदान का समय हो गया, अब इतना मतदान हो, ज्यादा न हो, यह देखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितने लोग लाइन में रहते हैं, सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर्मचारी और अधिकारियों को सुनिश्चित करनी चाहिए। ...(व्यवधान) एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूँगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए कि सरकार ने जो योजनाएँ लागू की हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए हम बहुत योजनाएँ बनाते हैं और उनको प्राथमिकता से लागू करते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो जो लोग मतदान करते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनको योजनाएँ बनाते समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं जो पासपोर्ट बनवाते हैं, परिचय बनवाते हैं, उसमें एक पहचान होनी चाहिए कि इस व्यक्ति द्वारा वोट डाला गया है या नहीं। सरकार द्वारा यह अभियान भी चलाया जाना चाहिए कि सरकार इसका प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से करे। मतदान हमारा अधिकार है और सरकार बनाने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे अनिवार्य बनाया जाना आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिन्द।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

18.00 hrs

अनिवार्य मतदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, प्रायः जितनी भी डैमोक्रेसी हैं, जितने भी डैमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सभी देशों में इस तरह की चर्चा पिछले सौ सालों से लगातार चल रही है। कुछ लोगों ने इसको लागू किया है, कुछ लोग इसको लागू करने वाले हैं और कुछ लोग इस डोलड्रम में हैं कि लागू होना चाहिए या लागू नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो यह मतदान है, यह राइट है या ड्यूटी है और राइट और ड्यूटी में अनिवार्य ड्यूटी होनी चाहिए या अनिवार्य राइट होना चाहिए, इसका एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया में आता है। जो लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, उनका आइडिया है, वे लगातार कहते हैं, मैं समराइज़ कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो डिबेट चल रही है, "The idea is that a democratic electoral system is a public good. In that all citizens get a benefit from it." क्योंकि, जब चुनाव होता है, जब सरकारें बनती हैं, सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, वे सारी जनता को मिलती हैं। "even if they do nothing to contribute to it." जैसे सरकार बनने वाली है, उसमें से कई एक लोग होते हैं, जो कि भाग ही नहीं लेते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन उस सरकार के बनने में

नहीं है। "because it is a public good, it is possible to be a free right." क्योंकि, हमारे यहां ही नहीं, पूरी दुनिया में जैसे ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Shri Nishikant Dubey, you may continue your speech next time.

16.22 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILL -Introduced ...Contd.

माननीय सभापति: दो माननीय सदस्यों के बिल हैं, जो उस समय नहीं थे, अब उनको पुरःस्थापित करना है। उनसे आग्रह है कि वे पुरःस्थापित करेंगे।

मद संख्या 73 डॉ. उदित राज।